संवादसेतु

मीडिया का आत्मावलोकन

अंक-32 | अप्रैल 2026 | नई दिल्ली

संपादक
आशुतोष भटनागर

कार्यकारी - संपादक
डॉ. जयप्रकाश सिंह

उप-संपादक
डॉ. चंदन आनंद
डॉ. रविन्द्र सिंह भड़वाल

डिजाइनिंग
केशव ओझा

ई-मेल
samvadsetu2011@gmail.com

फेसबुक पेज
@samvadsetu2011

अनुरोध

संवादसेतु की इस पहल पर आपकी टिप्पणी एवं सुझावों का स्वागत है। अपनी टिप्पणी आप उपरोक्त ई-मेल पर भेज सकते हैं।
संवादसेतु मीडिया सरोकारों से जुड़े पत्रकारों की रचनात्मक पहल है।
संवादसेतु अपने लेखकों तथा विषय की स्पष्टता के लिए इंटरनेट से ली गई सामग्री के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता है। पत्रिका के प्रकाशन में संलग्न सभी लोगों के पद अवैतनिक हैं।

संपादकीय
पृष्ठ 2

आवरण कथा
भ्रामक सूचना और उपद्रव की जमीन, यूजीसी से नोएडा बवाल तक संयोग या प्रयोग?
पृष्ठ 3-5

परिप्रेक्ष्य
'कतरब्योंत' के समय में वैश्विक विमर्श
पृष्ठ 6-7

कला संवाद
कला कोई खबर नहीं
पृष्ठ 8-9

प्रसंगवश
उद्योग बनती पत्रकारिता में 'कल्याण' की एक सदी
पृष्ठ 10-11

स्मरण
मूकनायक से प्रबुद्ध भारत का संकल्प
सामाजिक एकात्मता की पत्रकारीय यात्रा
पृष्ठ 12-14

युद्ध और मीडिया
अमेरिका-इज़रायल और ईरान संघर्ष में जारी सूचना युद्ध
पृष्ठ15-17

लोकबोली में क्रिकेट
धरा गइले हा, गजब के कैच बा
पृष्ठ 18

शब्द-बोध
हेलुसिनेशन : क्या है AI का मतिभ्रम
पृष्ठ 19

मंथन
आईटी नियमों में संशोधन की पहल ने छेड़ी अभिव्यक्ति बनाम अधिकार की बहस
पृष्ठ 20-21

घटनाक्रम
पृष्ठ 22-23

सोशल मीडिया के बेलगाम होने की अपनी कीमत है जो आमतौर पर समाज को चुकानी होती है। जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, अफवाहें सूचना का रूप धर कर समाज माध्यमों में तैरने लगीं। लाइक और व्यू कमाने की होड़ में न सच जानने का समय है और न झूठ से बचने की कोई इच्छा। जिनसे विवेक का प्रयोग करने की अपेक्षा है वही मर्यादाएं तोड़ने पर आमादा हैं।

झूठी खबरें और उस पर नियंत्रण की माँग दशकों से होती आयी है। हर बार मीडिया के अंदर से आत्मनियंत्रण की बातें चलीं और सरकारों ने उसका मान रखते हुए इस संबंध में कड़े कानून बनाने से परहेज किया। जैसे ही सोशल मीडिया के द्वार खुले, नागरिक के पास अपनी बात कहने का एक अकल्पनीय क्षितिज खुल गया। लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने वाला यह हथियार संभवतः विज्ञान की मानव इतिहास में सबसे बड़ी देन है। अनुभव बताता है कि सोशल मीडिया का अनियंत्रित प्रयोग परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह एक साथ पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है।

भारत में, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदीर्घ इतिहास है, सामान्य परिस्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने का विचार भी नहीं आ सकता जब तक कि पानी सर से ऊपर न बहने लगे। किन्तु हाल ही के दिनों में जिस प्रकार के उदाहरण सामने आने लगे हैं, यह आशंका बढ़ती जा रही है कि सरकार को नियंत्रण हेतु कदम बढ़ाने के लिये विवश होना पड़े।

यहाँ यह आवश्यक है कि सूचना के गलत अथवा सही होने के पीछे के इरादों की भी पड़ताल की जाए। झूठी अथवा भ्रामक सूचना देने वाला भूलवश भी गलती कर सकता है और जान-बूझ कर भी। दोनों बातें समान रूप से दण्डनीय नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार इनके प्रभाव और परिणाम का आकलन भी करना होगा। सूचना प्रसार की रणनीति के साथ किये गये आयोजन का मूल्यांकन अलग श्रेणी और अलग स्तर पर ही किया जा सकता है। देश को अराजकता की आग में झौंक कर वाह्य शक्तियों के मंसूबे पूरे करने के लिये संगठित-सुनियोजित तरीके से झूठी अथवा सायास गढ़ी गयी सूचनाओं का प्रसार करने वाले अपराधी हैं और उस पर सहज विश्वास कर उसे आगे बढ़ाने वाले इस सूचना युद्ध के शिकार। हद से हद इन लोगों को लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है। दोनों श्रेणियों के कारण उत्पन्न विभ्रम को अलग-अलग स्तरों पर निपटना होगा।

इस बीच खबर है कि सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे को चर्चा के लिये जारी किया है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से न्यूज व करंट अफेयर से जुड़ी किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिये कहा जा सकता है। एक्स और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता पर इससे कुछ बंधन आ सकते हैं। स्वाभाविक ही इससे संबंधित आदेश देने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने एजेण्डा को आगे बढ़ाने वाले इस पर जरूर शोर मचायेंगे। अनेक राजनैतिक दल भी उनके समर्थन में आगे आ सकते हैं। किन्तु इस चर्चा में यह प्रश्न अनुत्तरित न रह जाये कि एजेण्डा प्रेरित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा है अथवा सही सूचना प्राप्त करने का नागरिक का अधिकार। वर्तमान परिस्थिति एवं घटनाओं को देखते हुए नियंत्रण की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु इसके कानून बनने से पहले देश में इस पर स्वस्थ बहस हो, यह आवश्यक है। संवादसेतु इस बहस का मंच बनने को प्रस्तुत है।

हार्दिक शुभकामना सहित,

आशुतोष भटनागर
संपादक

भ्रामक सूचना और उपद्रव की जमीन, यूजीसी से नोएडा बवाल तक संयोग या प्रयोग?

सुधीर झा

'मोदी सरकार ने यूजीसी के नाम से एक बहुत खतरनाक कानून बना दिया है, जिसकी वजह से अब स्कूल-कॉलेजों में सवर्ण बच्चों पर कोई भी आरोप लगाने या केस करने की खुली छूट होगी। बच्चों का स्कूल-कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा।' एक दिन अचानक मेरे एक परिचित ने मुझसे एक पत्रकार होने के नाते यह सवाल किया। मैं कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। मन में पहला ख्याल यही आया कि आखिर यह कौन-सी खबर है जो मुझसे छूट गई। हैरानी इसलिए भी थी कि आमतौर पर क्रिकेट के स्कोर तक सीमित रहने वाला यह व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर इतना चिंतित कैसे हो गया। घर पहुंचकर मैंने प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स खंगालीं, अखबार पलटे और खबरिया चैनलों पर नजर दौड़ाई। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं थी। इसके बावजूद जिस गंभीरता और चिंता के साथ मुझसे यह सवाल किया गया था, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। दिलचस्प यह था कि सोशल मीडिया पर तब तक यह चर्चा बहुत ज्यादा नहीं दिख रही थी, लेकिन चौक-चौराहों और चाय की दुकानों पर यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी।

संयोग से ज्यादा यह एक प्रयोग प्रतीत होता है कि साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में कई ऐसे मुद्दे उछले या उछाले गए जिनमें कुछ समानताएं दिखती हैं। अफवाह तंत्र के जरिए सूचनाओं को तोड़-मरोड़कर प्रचारित किया गया और समाज में चिंता, द्वेष, बेचैनी, घबराहट और इन सबके योग से आक्रोश की लहर पैदा करने की कोशिश की गई और काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। यदि इनके पीछे प्रयोग है तो यह प्रयोगशाला किसकी है? मकसद क्या है? सरकार और खुफिया तंत्र की निगाह इस पर जरूर होगी। फिलहाल यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह डिजाइन क्या है, जिसका मकसद कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने की लगती है।

दरअसल, यदि आप सभी मामलों को गौर से देखें और तथ्यों की पड़ताल करें तो एक पैटर्न उभरकर सामने आता है। इसके तहत पहले किसी ऐसे मुद्दे को चुना जाता है जो रोजगार, शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा या महंगाई आदि से जुड़ा हो। आम आदमी को तुरंत उद्वेलित करने की क्षमता रखने वाले विषयों पर आधी-अधूरी या भ्रामक जानकारी दी जाती है। जाहिर तौर पर लोगों में असुरक्षा, डर और आक्रोश की भावनाएं पैदा होती हैं। दूसरा, पिछले कुछ दशकों में अफवाह के प्रचार-प्रसार का मुख्य साधन सोशल मीडिया बनकर उभरा था। हालांकि, नए डिजाइन में अनौपचारिक नेटवर्क जैसे चाय-पान की दुकानों, गली-नुक्कड़ की बैठकों, ऑटो रिक्शा, बस-ट्रेन में होने वाली चर्चाओं के जरिए भ्रामक जानकारियों को उन लोगों तक

भी तेजी से पहुंचाया गया जो इंटरनेट का इस्तेमाल कम या बिल्कुल नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग जहां तथ्यों की सही पड़ताल में अक्षम होते हैं तो इसकी संभावना भी बहुत अधिक होती है कि जो अधूरी या भ्रामक जानकारी उन तक पहुंची है, वह किसी और तक पहुंचने से पहले और बड़े असत्य का रूप ले ले। तीसरे चरण में इसका असर दिखने लगता है। लोग न सिर्फ चिंतित होते हैं, बल्कि कई बार आक्रोशित भी हो जाते हैं। समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच अविश्वास बढ़ता है। छोटी-छोटी बातें भी टकराव का कारण बनने लगती हैं। यही वह बिंदु है, जहां एक साधारण अफवाह सामाजिक उपद्रव का रूप ले सकती है। सवाल यही है कि क्या यह सब स्वतः हो रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसा तंत्र सक्रिय है, जो जानबूझकर इन परिस्थितियों को पैदा कर रहा है? आइए यहां हाल की कुछ घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं।

श्रमिकों के सहारे बड़ी साजिश

ज्यादा महंगाई और कम वेतन की वजह से बड़े शहरों में श्रमिकों की जिंदगी कितनी कठिन है इसका अहसास तो उन कामगारों को ही है जो 10-12 घंटे प्रतिदिन कठोर शारीरिक श्रम के बाद बमुश्किल 300-400 रुपये दैनिक के हिसाब से 10-15 हजार रुपये मासिक प्राप्त करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े जिलों, बिहार, झारखंड,पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आने वाले इन अधिकतर श्रमिकों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मकान या झुग्गी के किराये में चला जाता है। बाकी बच्चे हिस्से से उन्हें रसोई, बच्चों की पढ़ाई,दवाई का इतंजाम करना है। बचाकर कुछ गांव में आस लगाए रहने वाले माता-पिता के पास भी भेजना है। इसका हिसाब किताब-बिठाना गणित के सबसे जटिल प्रश्न से भी कुछ कठिन होता है। रही सही कसर ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध ने पूरी कर दी जब, 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर भरवाने में ही 1500 से 2000 रुपये तक जाने लगे। मुश्किल दौर से गुजर रहे इन श्रमिकों की झुंझलाहट का फायदा उठाकर उन मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की गई जो पिछले कुछ प्रयास में विफल हो चुके थे।

नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल जैसे एनसीआर के बड़े औद्योगिक केंद्रों में मजूदरों का गुस्सा इस कदर भड़काया गया कि वे कामकाज छोड़कर सड़कों पर उतर आए। नोएडा में वेतन बढ़ाओ, हमारी मांगें पूरी करो... जैसे नारों के बीच अचानक अचानक पत्थर चलने लगे, गाड़ियों को फूंका जाने लगा और पुलिस पर पथराव करके माहौल को युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया गया। एक फैक्ट्री से शुरू हुआ बवाल कुछ ही घंटों के भीतर पूरे नोएडा में फैल चुका था। फैक्ट्रियों के श्रमिकों से लेकर घरेलू सहायिकाओं तक ने कामकाज ठक दिया।

जब मीडियाकर्मी यह जानने के लिए पहुंचे कि आखिर श्रमिकों की क्या मांगें हैं, जिसको लेकर वे इतने उग्र हैं, तो साजिश की उस डिजाइन का पहला संकेत सामने आ गया जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। आंदोलित कई श्रमिकों ने कहा, 'नए कानून में सरकार ने हमारी सैलरी 20 हजार रुपये तय कर दी है, लेकिन फैक्ट्री मालिक हमारा वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं।' दरअसल, एक अप्रैल 2026 से लागू संशोधित श्रम कानूनों में न्यूनतम वेतन तय नहीं किया गया है, बल्कि सेवा शर्तों और श्रमिकों के कल्याण से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसने और क्यों इन्हें बताया कि सरकार ने उनका वेतन 20 हजार रुपये प्रतिमाह तय कर दिया है और फैक्ट्री मालिक उन्हें इससे वंचित रख रहे हैं? नोएडा पुलिस ने जो जवाब तलाशे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। साजिश के तार पाकिस्तान तक से जुड़े मिले। गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक पाकिस्तान के दो एक्स हैंडल्स से पोस्ट करके मजदूरों को भड़काया गया। तीन मुख्य साजिशकर्ताओं को रूपेश रॉय, मनीषा चौहान और आदित्य आनंद को किया चिन्हित किया गया। हिंसा के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से अधिकतर किसी फैक्ट्री के श्रमिक या कर्मचारी नहीं थे। पुलिस यह पता लगा रही है कि आखिर श्रमिकों को भड़काकर साजिशकर्ता किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे? सवाल यह भी कायम है कि आखिर पकड़े गए 'साजिशकर्ता' कहीं किसी बड़े 'टूलकिट' के पुर्जे मात्र तो नहीं?

हाल के दिनों में अफवाह तंत्र के सहारे देश में कई बार उस तरह के हालात पैदा करने की कोशिशें हुई, जो बीते कुछ सालों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में दिख चुके हैं। नोएडा के उदाहरण के बाद यदि हाल के समय में यूजीसी नियमों को लेकर हुए बवाल, ट्रेड डील पर हुए हंगामे, महिलाओं-बच्चों के लापता होने के फैले डर और एलपीजी-पेट्रोलियम उत्पादों पर फैलाए गए भ्रम पर गौर करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है।

यूजीसी नियम- कैसे उबल बड़े देश के सवर्ण

जिस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड की विदाई शुरू नहीं हुई थी, 'यूजीसी के कुछ नियमों में संशोधन' ने ऐसी गर्मी पैदा की कि शासन तंत्र के पसीने छूट गए। इधर साल शुरू हुआ था और उधर सवर्णों के बीच अचानक यूजीसी एक बड़ा मुद्दा बन गया। खासकर सवर्णों के बीच ऐसी जानकारियां पहुंचीं या पहुंचाई गईं कि वे लोग भी बेहद आक्रोशित हो गए जिनके अपने बच्चे फिलहाल किसी स्कूल-कॉलेज में नहीं, उन लोगों की नाक पर भी गुस्सा बैठ चुका था जिन्हें शायद यह नहीं पता था कि यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। गुस्से में वे भी थे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक ऐसी वैधानिक संस्था है जो देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विनियमित करती है। जैसा की शुरुआत में जिक्र आया, बहुत से लोगों को तो यह पता चला था कि यूजीसी नाम का एक कानून बनाया गया है, जिसमें सवर्णों के साथ बड़ा अन्याय कर दिया गया है, अब उनके बच्चों के लिए कॉलेज में पढ़ना मुश्किल हो गया है। ऐसा भ्रामक माहौल तैयार किया कि दलितों को सवर्ण बच्चों पर केस करने, उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की पूरी छूट दे दी गई है। यहां

कुछ तथ्यों पर भी ध्यान देना जरूरी था, जिन पर ना तो मीडिया की खबरों में ज्यादा फोकस हुआ और ना ही सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चा की गई।

एक वर्ग का कहना है कि यूजीसी रूल्स के चलते परेशानियां होंगी और फर्जी शिकायतें भी दर्ज होंगी। इसके अलावा एक चिंता यह कहते हुए भी जाहिर की जा रही है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों की ओर से दी जाने वाली शिकायतों की जांच में सवर्ण प्रतिनिधि नहीं होंगे। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। यूजीसी रूल्स में शिकायतों की जांच के लिए समता समिति का प्रावधान है। सभी शिकायतों पर संस्थानों में बनी यह समिति ही जांच करेगी और इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होने की संभावना रहेगी। यूजीसी की ओर से जो नियमावली दी गई है, उसके तहत समता समिति के पदेन अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे। वही तय करेंगे कि समता समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे। यूजीसी ने प्रावधान किया है कि सभी संस्थानों में समान अवसर केंद्र होंगे और इसी के तहत समता समिति बनेगी। इस समिति का समन्वयक पदेन सचिव के रूप में काम करेगा। इसके तहत किसी स्थायी प्रोफेसर या फिर वरिष्ठ फैकल्टी को ही शामिल किया जाएगा, जिसकी वंचित समूहों के सामाजिक कल्याण में रुचि हो।

इस समिति के पदेन सदस्य संस्थान के प्रमुख यानी निदेशक, कुलपति आदि होंगे। इसके अलावा सदस्य के रूप में तीन प्रोफेसर या वरिष्ठ अध्यापक गण शामिल होंगे। संस्थान का एक गैर-अध्यापन विभाग से जुड़ा एक सदस्य भी इसमें शामिल रहेगा। पेशेवर अनुभव रखने वाले समाज के दो प्रतिनिधि भी इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। एक अहम बात यह भी है कि दो छात्र प्रतिनिधि भी इस समिति का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

इस समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। इस तरह 10 मेंबरों में से 5 सदस्य ये होंगे। इसके अलावा अन्य 5 सदस्य किसी भी समाज से हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि सवर्ण समाज के प्रतिनिधि भी समता समिति का हिस्सा बन सकते हैं। यही नहीं महिला और दिव्यांग की जो बात कही गई है, उसमें भी जाति या वर्ग विशेष की बाध्यता नहीं है। हालांकि यह सब अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर होगा कि वह किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं। साफ है कि महिला और दिव्यांग किसी भी जाति से संबंधित हों, उन्हें समिति में जगह दी जा सकती है। इस प्रकार सवर्णों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व समिति में रहेगा। नियम के अनुसार समता समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जबकि विशेष आमंत्रित समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होगा।

यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियमों को 13 जनवरी को अधिसूचित किया था, जिनपर 29 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी थी। इसके बाद 19 मार्च को हुई सुनवाई में भी मामला टल गया, लेकिन अब तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब भी सोशल मीडिया पर भांति-भांति के प्रचार चल रहे हैं।

व्यापार समझौते में भी 'झूठ-भ्रम' का लेनदेन

यूजीसी ऐक्ट पर माहौल पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि वही 'डिजाइन' अब भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लागू हो चुका था। अब तक 'मजबूती' वाली छवि के साथ एक दशक से अधिक तक शासन चला चुकी नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर साबित करने के लिए अमेरिका के सामने 'सरेंडर' रूप में पेश करने की भरसक कोशिश की गई। इस बार कोशिश किसानों के बीच भ्रम पैदा करने की थी। आधी अधूरी जानकारियों, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावों के जरिए यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। दावा किया गया कि मोदी सरकार ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को अमेरिका के लिए पूरी तरह खोल दिया है, जबकि हकीकत अलग थी। बाद में जब ब्योरा सार्वजनिक हुआ तो पता चला कि कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों को सुरक्षित रखा गया है। यह भी दावा किया गया कि भारत को हर साल 500 बिलियन डॉलर का निर्यात अमेरिका से करना होगा, जबकि हकीकत यह है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि यह एक व्यापारिक लक्ष्य है। यह भ्रम फैलाया गया कि भारत को इस डील से कुछ नहीं मिला, सिर्फ नुकसान हुआ... और यह सब तब किया गया जब डील की बारीकियों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी थी।

जब फैलाया गया बच्चों-महिलाओं के लापता होने का डर

कानाफूसी से सोशल मीडिया तक के दुरुपयोग से भ्रम फैलाए जाने के बाद एक बेहद चौंकाने वाला प्रयोग भी सामने आया। एक दिन अचानक कई समाचार पोर्टल पर खबर छपती है कि 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। एक नामी न्यूज एजेंसी से यह खबर जारी होने की वजह से बिना किसी जांच पड़ताल के अधिकतर प्रमुख वेबसाइट और अगले दिन अखबारों ने इसे प्रकाशित-प्रासरित किया गया। चूंकि खबर विश्वसनीय मीडिया समूहों के जरिए फैली लोगों ने इस पर यकीन किया और एक दूसरे के साथ इसको साझा किया।

अगले कुछ दिनों में यह खबर सनसनी बनकर हर कान तक पहुंच चुकी थी कि महिलाएं और बच्चे गायब हो रहे हैं। डर हर दिल-दिमाग में कब्जा कर चुका था। नौबत यह आ गई कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया। इस बीच पुलिस ने पिछले साल की समान अवधि के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले लापता होने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। बाद में लोग तब और ज्यादा हैरान हो गए जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए बताया कि यह झूठ एक फिल्म के प्रमोशन के लिए फैलाया गया जो गुमशुदगी की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है।

सिलेंडर के लिए लंबी कतारें

अफवाहों से बेचैनी फैलाने का यह सिलसिला ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध में भी जारी रहा। आपूर्ति में कुछ कमी की सच्चाई का इस्तेमाल एक बड़े झूठ को फैलाने में किया गया कि रसोई गैस का भारी अभाव हो गया है। इसकी वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगने लगीं। वहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार समेत कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाह फैलने के बाद पंपों पर लोग उमड़ पड़े।

हालांकि, भारत सरकार और तेल कंपनियों की ओर से बार-बार आश्वासन दिया जाता रहा कि आपूर्ति को लेकर कोई ऐसा संकट नहीं है। अफवाह तंत्र कमजोर पड़ने के साथ ही गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों से कतारें कम हो गईं। फिर भी सोशल मीडिया पर जिस प्रकार भ्रामक प्रचार चला, उसने पूरे तंत्र को ही परेशानी में डाल दिया। इस प्रकार इन सभी मामलों में जो प्रचार दिखा, वह संयोग से ज्यादा प्रयोग था। ●

‘कतरब्योंत’ के समय में वैश्विक विमर्श

डॉ. जयप्रकाश सिंह

कतर फाउंडेशन की तरफ से 28 नवंबर 2025 को दोहा में एक भव्य कला-संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। संग्रहालय का नाम ‘लाव्ह वा कलम : एम.एफ.हुसैन म्यूजियम’ है। स्पष्ट है यह संग्रहालय भारतीय कलाकार एम.एफ.हुसैन और उनकी कलाकृतियों को समर्पित है। 3000 वर्ग मीटर में विस्तृत इस भव्य संग्रहालय में एम.एफ. हुसैन की कतर की ‘अरब सिविलाइजेशन सीरीज’ को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने के लिए कतर द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम था।

यह संग्रहालय भारत को और भारत के बारे में शेष विश्व को कुछ निश्चित संदेश देने की कोशिश भी है। इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश से ठीक पहले वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने के लिए कतर ने अनेक मोर्चों पर एक साथ कार्य शुरू किए। अल-जजीरा की स्थापना से लेकर ‘इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स’ की स्थापना तक में इस्लामिक जगत के विमर्श का अगुआ बनने की उसकी कोशिशों की झलक देखी जा सकती है। पिछले दो दशकों में कतर ने एक हद तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। अब वैश्विक हलचल के बीच कतर की इस महत्वाकांक्षा को पहली बार गंभीर झटकों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में घटी-घटनाएं कतर की विमर्श गढ़ने की क्षमता और उसकी दिशा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में इजरायल-अमेरिका ने शायद ही इस बात की कल्पना की होगी कि ईरान कतर पर भी हमला कर सकता है। इसका कारण इस्लामिक विमर्श गढ़ने में कतर की सम्मानजनक स्थिति और मध्यस्थ के रूप में उसकी कमोबेश सर्वस्वीकार्य स्थिति थी।

युद्ध के प्रारंभ में ही ईरान ने कतर पर हमला करके शेष दुनिया को तो चौंकाया ही, इस्लामिक दुनिया भी इससे कम अचंभित नहीं हुई। शुरुआती चरण में कतर पर किए गए हमलों के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये हमले इजरायल और अमेरिका को संदेश देने के लिए किए गए हैं, और भविष्य में कोई बड़ा हमला ईरान की तरफ से शायद ही किया जाए। लेकिन 18 मार्च को रास लाफलाँ औद्योगिक शहर पर हमला कर सारे पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस हमले के कारण इस्लामिक दुनिया विशेषकर कतर किस तरह चकित हुआ इसका अंदाजा कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री साद अल-काबी के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि-‘रमदान के महीने में किसी मित्रवत मुस्लिम देश द्वारा कतर और इस क्षेत्र को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था।’ कतर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका लेखा-जोखा देते हुए काबी ने बताया कि इन हमलों के कारण कतर की एलएनजी निर्यात की क्षमता 17 प्रतिशत तक कम हो जाएगी और देश को प्रतिवर्ष लगभग 20 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। यूरोप और एशिया में गैस की आपूर्ति इन हमलों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

ईरान के इस हमले के आर्थिक आयाम तो हैं ही, विमर्श के स्तर पर भी इसमें कई संदेश निहित हैं। इससे पहले ऐसी ही स्थिति तब पैदा हुई थी जब इजरायल ने 9 सितम्बर को कतर की राजधानी दोहा में हमास के आतंकियों को निशाना बनाकर कतर की साख को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई थी । यह हमला भी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, वैश्विक विमर्श पर भी इसके गंभीर प्रभाव देखने की संभावना जताई गई थी। कतर द्वारा अल-जजीरा में हुए निवेश को अधिकांश मुस्लिम देशों ने भी उसकी इस्लामिक विमर्श के सिरमौर बनने की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में देखा। इसी कारण, जून 2017 में जब कतर के साथ सउदी अरब और उसके सहयोगी देशों का टकराव हुआ, तो सउदी पक्ष की तरफ से टकराव समाप्त करने के लिए रखी गई शर्तों में एक शर्त अल-जजीरा को बंद करने की भी थी। तब सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र की तरफ से अल-जजीरा को बंद करने की मांग ने इस्लामिक जगत में विमर्श पर आधिपत्य को लेकर चल रहे संघर्ष को दुनिया के सामने ला दिया था। इस प्रकरण से यह बात भी स्थापित हो गई थी कि विमर्श के मामले में कतर ने अन्य इस्लामिक देशों पर एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इस्लामिक विमर्श को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के कारण ही पिछले एक दशक से इस्लामिक जगत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय और समझौते कतर में हो रहे थे।

तालिबान से लेकर हमास तक से सम्बंधित वार्ताओं की मध्यस्थता कतर ही कर रहा है। कट्टरपंथियों के बीच कतर की पहुंच, स्वीकार्यता और वैधता को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। कतर द्वारा इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को तो उसकी स्वीकार्यता का कारण बताया ही जाता है, वैश्विक संचार प्रवाह और विमर्श में कट्टरपंथियों के दृष्टिकोण को पहुंचाने और वैधता प्रदान करने की क्षमता भी उसकी स्वीकार्यता का कारण बतायी जाती है। इजरायल से सम्बंधित कई थिंक-टैंकों का ऐसा मानना है कि कतर अल-जजीरा के माध्यम से तो इजरायली हितों को नुकसान पहुंचाता ही है, अमेरिका और यूरोप के बड़े मीडिया संगठनों में भी उसके निवेश और सम्पर्क कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के प्रति वैधता और सहानुभूति का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो कतर के पास अपने मीडिया संस्थानों के माध्यम से वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता तो है ही, ‘थर्ड पार्टी इंटरवेंशन’ के माध्यम से भी वैश्विक सूचना प्रवाह को प्रभावित करने की क्षमता उसके पास है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ‘थर्ड पार्टी इंटरवेंशन’ को मीडिया में सहानुभूति और वैधता प्रदान करने की सबसे अच्छी

रणनीति माना जाता है। इस रणनीति में कोई तीसरा पक्ष दो संघर्षरत पक्षों में से किसी एक को सही ठहराता है। वह तीसरा पक्ष सीधे संघर्ष से सम्बद्ध नहीं होता, इसलिए उसकी बात को निष्पक्ष मानकर स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होती है। इस्लामिक विमर्श को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभा रहे कतर की राजधानी दोहा पर हुए हमले कई अर्थों में अलग हैं।

'द जेरुसलम पोस्ट' ने इन हमलों को स्थान, समय और संदेश की दृष्टि से असाधारण बताया है। इन हमलों ने इस बात को चर्चा के केन्द्र में ला दिया है कि हमास के नेताओं को कतर में शरण मिलती है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने इसी तथ्य की तरफ संकेत करते हुए कहा कि कतर को हमास नेताओं को अपने देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कतर हमास नेताओं को सुरक्षित ठिकाना, वित्तीय सहयोग और आलीशान रिहाइश प्रदान करता है। और जिस तरह अमेरिका को 9/11 के हमलावरों को दुनिया में कहीं भी जाकर मारने का अधिकार है, उसी तरह इजरायल को भी 7 अक्टूबर के गुनाहगारों को खत्म करने का अधिकार है। प्रकारांतर से इस बयान के जरिए कतर की स्थिति को पाकिस्तान जैसी बता दी गई, जहां पर आतंकियों को शरण मिलती है। इस तरह इजरायल का कतर स्थित हमास के ठिकाने पर हमला आतंकियों पर किए गए हमले से अधिक उसकी छवि और विमर्श को नियंत्रित करने की क्षमता पर हमला था। अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार दोहा में रह रहे लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कतर में भी ऐसा हमला हो सकता है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन हमलों के कारण कतर की विश्वसनीयता आन्तरिक और वाह्य दोनों रूपों में प्रभावित हुई है। कतर इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा था। इसीलिए 10 सितम्बर को उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इजरायल उसकी विश्वसनीयता को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। अपनी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए कतर अपने रणनीतिक संचार को निश्चित रूप से नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करेगा। अपनी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए दो संचारीय संभावनाओं पर कार्य किया जा सकता है। पहला, इजरायल को परम्परागत दृष्टि से जवाब देने में अक्षम होने के कारण वह अन्य मोर्चों से इजरायल को जवाब देने की कोशिश करेगा। स्पष्ट है इसके लिए वह अपने सबसे मजबूत मोर्चे मीडिया का चुनाव करेगा। इससे भी चिंताजनक पहलू कि वह अधिक मुखर होकर अपने संचारीय संसाधनों का उपयोग इस्लामिक हितों के लिए करे। इसके साथ ही शिया-सुन्नी विवाद भी नए रूपों में हमारे सामने आ सकता है । इन परिस्थितियों में रेडिकलाइजेशन का नया दौर प्रारम्भ हो सकता है और इसके प्रभाव केवल इजरायल अथवा अमेरिका तक सीमित नहीं होंगे। अभी ईरान और पूर्व में इजरायल द्वारा कतर पर किए गए हमलों से वैश्विक सूचना प्रवाह गम्भीर रूप से प्रभावित होना तय है। इस हमले के बाद मीडिया में तटस्थ होने-दिखने की अपील कम हो सकती है और प्रायोजित रणनीतिक खबरों की बाढ़ आ सकती है। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश, जहां पर पहले ही प्रायोजित रेडिकलाइजेशन एक गम्भीर समस्या बनी हुई है, संचारीय मोर्चे पर तैयारियों को लेकर कितने सजग हैं। इसके साथ ही, संतुलित वैश्विक विमर्श की चाहत रखने वाली शक्तियों के लिए यह समय अधिक सजग और सृजनात्मक होने की मांग कर रहा है। ●

कला कोई खबर नहीं

त्रिवेणी प्रसाद तिवारी

पिछले वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय कला नीलामी में 'कॉमेडियन' शीर्षक नामक एक कृति भारतीय रुपये में लगभग 57 करोड़ से अधिक मूल्य में खरीदी गयी। कलाकृतियों का करोड़ी मूल्य होना आजकल बहुत बड़ी खबर है। कलाकृति क्या थी, दीवार पर डक्ट टेप से चिपकाया गया पका हुआ एक केला। उसे खरीदा क्रिप्टोकरेन्सी के एक युवा अरबपति व्यापारी ने। ऐसी कला का फूहड़ मजाक तो तब नजर आया जब खरीदने वाले उस व्यापारी ने करोड़ों की कलाकृति 'कॉमेडियन' केला को भरी मीडिया के सामने खा लिया और वक्तव्य दिया कि वह बहुत भूखा था। मीडिया में यह घटना बौद्धिक सनसनी की अबूझ पहेली बन गई और कलाकारों में ओठ फैलाते हुए 'इट्ज ऑबियसली' का विवेकहीन फितूर।

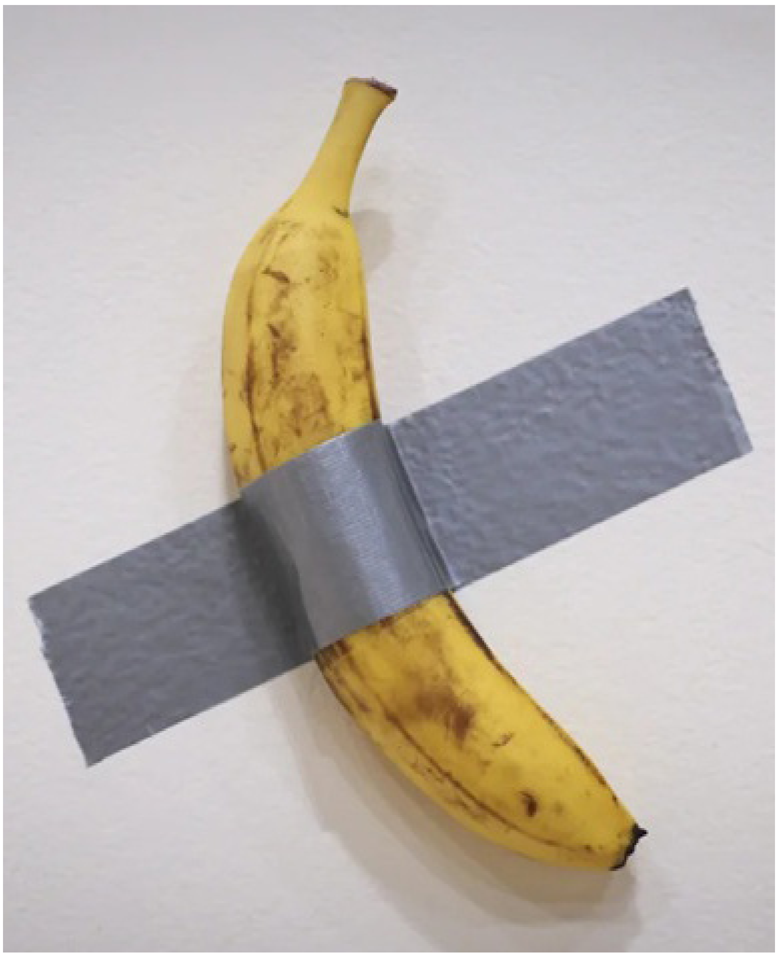

प्रश्न उठता है कि यह कलाकार का कौन सा सौंदर्यबोध है जहाँ किसी भी वस्तु को मात्र प्रदर्शित कर देने के कारण उसे कला मान लिया जाए? और यह कौन सा भाव है कि यदि आप उसे खरीद सकते हैं तो उस कृति को सामान की तरह बरता जाय या मात्र उपभोग बना दिया जाए। यहाँ कलाकार और उसका प्रशंसक खरीददार दोनों की दृष्टि में भौतिकता-उपभोगवादिता क्यों हैं? इसका कारण उनके सभ्यतागत संवाद में निहित है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने समाज की उपज होता है और उस समाज के जीवनसम्बन्धी जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन्हीं से सभ्यताओं का संवाद निर्मित होता है। यह संवाद ही उसकी कलाओं में प्रतिध्वनित होता है। इस बिन्दु पर भारत और शेष विश्व के साभ्यतिक संवाद में अंतर है।

भारत का जीवन दर्शन 'अद्वैत' और 'लीयते परमानन्दम्' को ही कला में आत्मसात करता है। वहीं पाश्चात्य दर्शन वस्तुवादी दृष्टिकोण को ही मुख्य साधना मानता है। पश्चिम का समाज अपने धार्मिक विश्वासों में मानव नियति के जिस कठोर सेमेटिक मतों का पालन करता है, उसमें वैचारिक स्वतंत्रता की एक सीमित उड़ान है जो कुछ मानवीय मूल्यों का समर्थन तो करता है परन्तु उनमें सह अस्तित्व और सृष्टि की समष्टिगत परिप्रेक्ष्य बहुत छोटा है, यदि कहीं विचारों की व्यापकता की परिकल्पना है भी तो केवल उनके मत-विश्वासों की परिधि के भीतर ही। उदाहरण के लिए पाश्चात्य इतिहास में सत्य बोलने के खिलाफ किया गया उनका उत्पीड़न। इस सृष्टि में प्रत्येक चीजों में जो विचार एकात्म भाव पैदा न करके अधिकार की पुष्टि करेगा वहाँ वैयक्तिकता, भौतिकता की ही प्रतिष्ठा होती है। पुनर्जागरण काल में पश्चिमी कला का जितना आश्चर्यजनक विकास हुआ वह आज की समकालीन आधुनिकता तक आकर व्यक्तिगत और वस्तुवादी दृष्टिकोण के जंगल में भटक गया है। क्या कलाओं की अभिव्यक्ति विशुद्ध निजता है? अभिव्यक्त होना प्रकृति का गुण-धर्म है। इस सृष्टि में जितने भी स्वरूपों का आविर्भाव होता है, वह सभी प्राकृत धर्म से युक्त होते हैं। प्रकृति को अभिव्यक्त होना ही है। विविध प्रकार के दृश्य एवं रूप जिसे हम देख-सुन पाते हैं, वह सारी सृष्टि अभिव्यक्तियाँ ही हैं।

स्वयं को विभक्त करना और विविध रूपों में होना एक निरंतर चक्र है जिससे यह रूपों भरा संसार बनता है। कहा भी गया है कि 'संसरति इति संसारः' अर्थात् जो सरकता जाए वही संसार है। यहाँ संसार के सरकने का अर्थ नवीन आकारों के स्वयं सृजन से है। इस संसरति संसार में असंख्य रूप-आकारों का बनना-विलीन होना एक अणुनाद को जन्म देता है। लगातार घटित होते इस अणुनाद की ध्वनन क्रिया संचार

है। अभिव्यक्ति के दौरान संचरण की प्रक्रिया अनिवार्यतः चलती रहती है वरना अभिव्यक्ति बाधित हो जाएगी। यह अभिव्यक्ति ही कला है जो सृष्टि के सभी प्राणियों में मूल गुण के रूप में होती है। वह प्रत्येक जीव जिसमें चेतना है, जिसमें उद्दीपन है, उसमें स्व को व्यक्त करने की इच्छा होती है। यह इच्छा वह ब्रह्म भाव ही है जिसमें वह निष्कल से सकल होना चाहता है। सृष्टि का प्रत्येक तत्त्व जब तक चैतन्य अवस्था में रहता है, वह अपनी विशिष्टता व्यक्त करता है। उसकी यह विशिष्ट अभिव्यक्ति ही कला होती है।

प्रत्येक कला में विशेष संचारीय गति होती है। संचरण की विभिन्न गतियों के कारण उनका रसास्वादन भी भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार जीवन उपक्रम का एक-एक कर्म किसी विचार, किसी उद्देश्य का संचरण करता रहता है। उसका विशिष्ट कर्म, विशिष्ट बोध की अभिव्यक्ति कला का स्वरूप बन जाती है। कलाओं के जितने रूप हो सकते हैं या होंगे, उन सभी की संचरण प्रक्रिया की एक विशेष गति होती है जिसमें माध्यम के अनुसार उनका भाव बोध बदल जाता है। अंततः सारी कलाएँ संचार का ही रूप हैं। मानव जीवन के बहुविध कर्म उसके मनोभावों का ही संचार है। वर्तमान कला परिप्रेक्ष्य में सृजन की लगभग सभी विधाएँ सूचना के आवरण में लिपटी हुई हैं। कलाओं की शक्ति उसकी संचरण क्षमता में निहित होती है।

कलाएँ मनःरंजन करती हुई जिस प्रकार अपना संदेश लोगों तक पहुँचा पाती हैं वह उसके कलाभ्यास का जादू है। यह सरल सिद्ध बात है कि कलाएँ सर्वदा किसी न किसी माध्यम द्वारा ही व्यक्त होती हैं। कला जब किसी विशेष अभ्यास प्रक्रिया से गुजरती है तो वह अभिव्यक्ति हमारी स्मृतियों में बस जाती है। अभिव्यक्ति में अभ्यास का मुख्य स्थान होता है। आजकल कला संसार में कलाभ्यास की बहुत चर्चा की जाती है। यह माना जाता है कि जिसका अभ्यास जितना अधिक और अलग होगा, वह उतना ही नया रच सकेगा। इस प्रकार अभ्यास के आनुभूतिक बोध को नवीन कलामूल्य की भावना करके समकालीन कलाकार हर वस्तु को उलट-पलट कर नया दृश्यबोध पैदा करने के प्रयास में लगा हुआ है। परन्तु दृश्यबोध तो वस्तु अभ्यास से नहीं बल्कि मनोमय कोष से तय होता है। मनोमय कोष में निर्मित होने वाले विचार आत्मपरिष्कार से बदलते हैं जिससे हमारा दृश्यबोध तय होता है । यह नया भी हो सकता है अथवा जड़ भी हो सकता है। परिष्कार की प्रक्रिया में साधना एक सजीव तत्व है जो रचनाधर्मिता को निरा वस्तुगत नहीं होने देती।

वास्तविक रूप से कला में अभ्यास वस्तुगत होता है क्योंकि उसे किसी माध्यम में ढलना है जो कि इस बाह्य प्रकृति में वह (माध्यम), किसी वस्तुरूप में पहले से ही विद्यमान होता है और इस कला प्रक्रिया की साधना मनोमय कोष का परिणाम है। पहले मनोमय की साधना चाहिए फिर उसके अनुसार माध्यम में अभ्यास होना चाहिए। इस प्रकार माध्यमों में कलाभ्यास, जो मनोमय साधना के फलस्वरूप प्राप्त होगा तो उसकी संचरण क्षमता वास्तविक रूप से नवीन एवं भारतीय भावनाओं के तत्त्वों से भरा हुआ होगा। यहाँ भारतीय भावन तत्त्वों से आशय ब्रह्म और आनन्द, कर्म और निष्कामता एवं स्व का साक्षात्कार जैसे मूल बिन्दु हैं जो मानव मंगल का हेतु है। भारतीय साधना के मूल तत्त्व कलाभ्यास में होने चाहिए जो कलाकारों को वस्तुओं की विशृंखल इच्छाओं से बचाती है। ये वही इच्छाएँ हैं जिन्हें सर्वथा नवीन एवं प्रयोगात्मक बनाकर आज का तथाकथित आधुनिक समकालिक कलाकार एक अलग ही वैचारिक पदावली तैयार करता है जिसमें भारी-भरकम दार्शनिक शब्दावली का उपयोग करता है।

उनके विचार प्रायः भारतीय दर्शन का ही सहारा लेते हैं परन्तु उनके शीर्षक ज्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं। उनकी कला क्या कहती है ये तो परीक्षण का विषय है और इन समकालिक कलाकारों की अपनी कला प्रक्रिया की व्याख्या हिन्दू दार्शनिक प्रश्नों, जिज्ञासाओं पर आधारित होती है परन्तु उनका माध्यमों के साथ अभ्यास में 'काफातोचि' तकनीक (काटो-फाड़ो-तोड़ो-चिपकाओ) का आग्रह अधिक रहता है क्योंकि वे नया दृश्य संसार निर्मित करना चाहते हैं। कुछ नया, कुछ अनोखा या स्वयं को ही रचने की प्रक्रिया में नवीन खोज का अभ्यास व्यवहार पाश्चात्य कलाकारों के मनोविज्ञान का अनुसरण करता है। प्रायः आधुनिक कलाकार रचने की मानसिक विचलनों, कलामन की तरंगों को पाश्चात्य कलाकारों के शरीर बोध और मानसदृष्टि (मैटेरियलिस्टिक) की भांति बरतने का प्रयास करते हैं। भारतीय विचार परम्परा में यह मनस ही हमारा मनोमय कोष है जो कलाभ्यास में किसी और से प्रभावित होने के कारण भारतीयता के प्राणछंद का संचरण नहीं कर पाता है।

'संसरति इति संसारः अर्थात् जो सरकता जाए वही संसार है। यहाँ संसार के सरकने का अर्थ नवीन आकारों के स्वयं सृजन से है।'

आज के तथाकथित समकालीन आधुनिक कलाकारों की यही विडंबना है कि वे समझ ही नहीं पाते कि अभ्यास प्रक्रिया की भारतीय भावधारा क्या है? वे जानने का प्रयास ही नहीं करते कि कला की संचरण शक्ति में यह कितना प्रभावशाली होता है? प्रायः उनके कलाभ्यास में किन्हीं सूचनाओं का बड़ा प्रभाव होता है जो वर्तमान के सार्वभौम सूचनातंत्रों द्वारा सहज उपलब्ध होता है। इस प्रकार नवीन सृजन की आकुलता में कलाकार अपनी विशृंखल इच्छाओं के रूपांकन को ही 'अभिव्यक्ति के खतरे' समझकर बहुत बड़ा रचने के बोझ से भर जाता है और वह भारी विचारों के अमूर्त दबावों को लिए फिरता रहता है।

यह विशृंखल इच्छाएँ वस्तुतः हमारे मनोमय का ही प्रतिबिम्ब होती हैं जिसमें हमारे द्वारा बाह्य प्रकृति की हर वस्तु में किये गए दर्शन के कारण निर्मित होती है। प्राथमिक रूप से, कलाकार के प्रतिक्षण-प्रतिदिन व्यवहार में आये हुए समस्त उपयोगी-अनुपयोगी वस्तुओं के प्रति जो भेददृष्टि बनती है उसमें कितना साधकभाव है? कितना वस्तु व्यवहार मात्र है? यही उसकी दृष्टि तय करता है। और जैसी दृष्टि बनती है वैसा ही कलाकार का संचारीय लेन-देन बन जाता है। इसी संचारीय लेन-देन के फलस्वरूप ही वह कहता है कि मैं अमुक को इस या उस रूपों में देखता हूँ और हम उसके रेखांकन-रूपांकन की विचित्रता से चकित हो जाते हैं कि एक रचनाकार का दृष्टिकोण इतना भिन्न (सकारात्मक-नकारात्मक) कैसे हो सकता है? कला की संचारीय शक्ति कितनी प्रबल होगी यह कलाकार के कलाभ्यास पर निर्भर करता है। ●

उद्योग बनती पत्रकारिता में 'कल्याण' की एक सदी

सूर्यप्रकाश

भारत में पत्रकारिता को दो कालखंडों में विभाजित करके देखा जाता रहा है। पहला दौर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का है, जब पत्रकार और क्रांतिकारी एक-दूसरे के पर्याय थे और आजादी की अलख जगा रहे थे। पत्रकारिता उनके लिए जनजागरण का माध्यम थी। उस समय में भी एक वर्ग अखबारों और पत्रिकाओं का ऐसा था, जो तत्कालीन सरकार अर्थात ब्रिटिश शासन का कमोबेश समर्थन ही करता था। फिर भी बहुतायत में ऐसे पत्र और पत्रिकाएं थीं, जो भारत की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक चेतना, समाज सुधार, भेदभाव की समाप्ति जैसे विषयों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए काम करती थीं। अब उन पत्र-पत्रिकाओं का अभाव दिखता है। कोई वक्त के थपेड़ों में बंद हो गया तो कोई किसी कारोबारी घराने का एक और व्यवसाय बनकर रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर अब तक टिमटिमाने वाले कुछ जुगनुओं की बात करें तो उनमें 'कल्याण' पत्रिका का नाम महत्वपूर्ण है। गीता प्रेस की ओर से निकलने वाली इस पत्रिका के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस पत्रिका ने अपने 100 वर्षों के दौर में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जनजागरण किया तो वहीं देश में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाते हुए आध्यात्मिक चेतना भी जागृत की। 'कल्याण' पत्रिका ने एक सदी की इस अवधि में हर वर्ष विशेषांक प्रकाशित किए।

इन 100 विशेषांकों ने समाज को अलग-अलग आयामों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कल्याण का योगांक, वेदांक, गंगा अंक, आरोग्य अंक, उपनिषद अंक, आनंद रामायण अंक, बोधकथा अंक बेहद अहम रहे। इसके अतिरिक्त हिंदू संस्कृति अंक, तीर्थांक, गोअंक आदि भी महत्वपूर्ण रहे। इन अंकों ने हिंदू समाज को उसकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। इन अंकों ने सहज भाषा में गूढ़ विषयों को प्रस्तुत किया एवं इनके प्रकाशन का खरीद मूल्य इतना कम रहा कि आम परिवारों में भी 'कल्याण' के अंक खूब खरीदे जाते रहे।

पत्रकारिता के जिस हिस्से को मुख्यधारा कहा जाता रहा है, उसने समाज को जागरूक, शिक्षित करने की राह से आगे बढ़ते हुए अस्वस्थ मनोरंजन की राह में लाकर खड़ा कर दिया है। किंतु 'कल्याण' ने अपने नाम को सार्थक करते हुए समाज कल्याण के रास्ते को नहीं छोड़ा है। विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता करते हुए 'कल्याण' ने सदस्यता का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया, जो अस्तित्व के संकट से जूझ रहे उन पत्रकारिता माध्यमों के लिए भी एक सबक है। जहां यह कहा जाता है कि पाठक स्वस्थ सामग्री नहीं पढ़ते, इसलिए हम उच्च स्तर की सामग्री भी प्रकाशित नहीं कर पाते अथवा दिखा नहीं पाते। 'कल्याण' की स्थापना जयदयाल गोयन्दका की ओर से की गई थी और इसके आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। उन्हें भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र की पत्रकारिता के लिए 'पितामह' की श्रेणी में रखना होगा। गीता प्रेस ने कल्याण के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'यह भगवान् की कृपा ही है कि अनेक विरक्त सन्तों के आशीर्वाद, विद्वान् लेखकों के सहयोग एवं धर्म-संस्कृति के प्रेमी पाठकों के कारण बिना बाहरी विज्ञापन के 'कल्याण' आज भी अपनी परम्परागत शैली में सतत प्रकाशित हो रहा है। वस्तुतः यह भगवान् का ही कार्य है, जिसका परोक्ष नियन्त्रण वे स्वयं ही करते हैं। 100 वर्षों की इस यात्रा में अब तक जनवरी 2026 तक लगभग 18 करोड़ 50 लाख प्रतियां प्रकाशित की जा चुकी हैं।' इस वाक्य से संस्था के ध्येय को समझा जा सकता है कि 'कल्याण' को गीता प्रेस ने भगवद् कार्य माना है।

'कल्याण' ने 100 सालों की अवधि में खूब उतार-चढ़ाव देखे, किंतु विज्ञापन के बिना उत्कृष्ट सामग्री प्रकाशित करते रहने का उसका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। 'कल्याण' की स्थापना का प्रसंग भी बेहद रोचक है। इसकी शुरुआत हनुमान प्रसाद पोद्दार की ओर से एक भाषण लिखे जाने के क्रम में हुई थी, जिसकी काफी

प्रशंसा हुई थी। वाकया इस प्रकार है कि वर्ष 1926 में मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में होना था। उसके स्वागताध्यक्ष आत्माराम खेमका थे। वे शास्त्रों के जानकार थे, किंतु हिंदी में हाथ तंग था और भाषण नहीं लिख सकते थे। ऐसी स्थिति में जयदयाल गोयन्दका और जमनालाल बजाज की प्रेरणा से हनुमान प्रसाद पोद्दार ने स्वागत भाषण लिखा था। एक दिन की अवधि में ही उन्होंने ऐसा स्वागत भाषण लिखकर मुद्रित करा दिया था कि जिसने भी सुना वह विस्मय से भर गया। इस आयोजन में सेठ घनश्याम दास बिरला भी थे, जिन्हें वह भाषण बहुत पसंद आया। उन्होंने इसे सुनने के बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार की वैचारिक उत्कृष्टता की सराहना की और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई पत्र निकालने की सलाह दी। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पत्रकारिता का कोई अनुभव न होने की बात कही, लेकिन यही प्रेरणा एक बीज के रूप में जन्म लेकर आज वट वृक्ष के रूप में हमारे पास सामने और शतवर्षीय होने के बाद भविष्य के लिए भी उज्ज्वल राह पर है। बिरला जी के सुझाव के कुछ दिन बाद ही हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयन्दका भिवानी से रेवाड़ी की यात्रा पर थे। इसी दौरान दोनों के बीच एक सुझाव पर चर्चा हुई और फिर इसी पर काम करने की सहमति बनी। फरवरी 1927 में 'कल्याण' का पहला अंक प्रकाशित हुआ था।

'कल्याण' का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, जिसके मुख पृष्ठ पर 'वन्दौ चरन सरोज तुम्हारे' पद छपा था। संपादकीय पृष्ठ पर 'कल्याण' का उद्देश्य लिखित था, जिसके शब्द इस प्रकार थे- 'कल्याण'की आवश्यकता सब को है। जगत में ऐसा कौन मनुष्य है जो अपना कल्याण नहीं चाहता। उसी आवश्यकता का अनुभव कर आज यह 'कल्याण' भी प्रकट हो रहा है।' यही नहीं कल्याण ने कुछ ही वर्षों में खूब लोकप्रियता पाई और 1936 में उसका एक विशेषांक योग अंक प्रकाशित हुआ, जिसे लोगों ने जमकर सराहा था। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण को कभी लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। उसमें विज्ञापनों के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया गया और यह सीख महात्मा गांधी ने दी थी। 'कल्याण' की शुरुआत में पोद्दार गांधी जी से मिलने गए थे, उस मुलाकात में 'कल्याण' को लेकर जो सीख गांधी जी ने दी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उसका सदा पालन किया। 'कल्याण' की शुरूआत की बात सुनकर गांधी जी अत्यधिक हर्षित होते हुए बोले- 'कल्याण में दो नियमों का पालन करना। एक तो कोई बाहरी विज्ञापन नहीं देना दूसरे, पुस्तकों की समालोचना मत छापना।' 'कल्याण' में यह नीति निरंतर लागू रही है। अपने इन निर्देशों को ठीक प्रकार से समझाते हुए गांधी जी ने कहा- 'तुम अपनी जान में पहले यह देखकर विज्ञापन लोगे कि वह किसी ऐसी चीज का न हो जो भद्दी हो और जिसमें जनता को धोखा देकर ठगने की बात हो। पर जब तुम्हारे पास विज्ञापन आने लगेंगे और लोग उनके लिए अधिक पैसे देने लगेंगे तब तुम्हारे विरोध करने पर भी...साथी लोग कहेंगे... देखिए इतन पैसा आता है क्यों न विज्ञापन स्वीकार कर लिया जाए?' इस प्रकार महात्मा गांधी के दिए नीति-निर्देशक तत्व का 'कल्याण' ने निरंतरता से पालन किया है।

अंग्रेजी में भी 32 वर्षों तक हुआ 'कल्याण' का प्रकाशन

भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत एवं हिंदी भाषाएं सबसे उपयुक्त मालूम पड़ती हैं, किंतु भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती। अंग्रेजी भाषी लोग भी ऐसे हैं, जिनकी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय मूल्यों में गहरी आस्था है। इसी को ध्यान में रखकर गीता प्रेस की ओर से 'कल्याण' का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित किया गया था। इसकी जानकारी प्राय: लोगों को नहीं है। हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं गीता प्रेस के अन्य शुभचिंतकों का विचार था कि अंग्रेजी में भी 'कल्याण' का प्रकाशन होना चाहिए। इसी विचार से जनवरी 1934 में 'कल्याण' के अंग्रेजी संस्करण 'कल्याण कल्पतरू' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसके संपादन की जिम्मेदारी चिमनलाल गोस्वामी और एम.ए. शास्त्री ने संभाली थी। इसकी करीब 5000 प्रतियां छपा करती थीं और 32 वर्षों तक इसका निरंतर प्रकाशन चलता रहा। इस अवधि में हर वर्ष विशेषांक भी अंग्रेजी संस्करण ने हिंदी की भांति ही प्रकाशित किए। किंतु इसकी निरंतरता नहीं बनी रह सकी।

कल्याण ने अपने नाम से उपजने वाली भावना को ही अपने हर अंक से सार्थक किया है। कैसे विज्ञापन के बिना भी एक सदी तक अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए पत्रकारिता की जा सकती है। 'कल्याण' इसका सजीव उदाहरण है। भारतीय मीडिया में जिसे मुख्यधारा की पत्रकारिता कहा जाता है, उसके अवमूल्यन के दौर में 'कल्याण' एक उम्मीद का जुगनू है, जो भारतीय समाज को निरंतर प्रकाशित कर रहा है। एक सदी के इस सफर में 'कल्याण' ने विश्वास की जो पूंजी अर्जित की है, उसने आगामी वर्षों के लिए अपेक्षाओं के स्तर को भी बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि भारतीय समाज आगे भी उससे लाभान्वित होता रहेगा।

भारत के समाज के मूल में ही धर्म और अध्यात्म रहे हैं। ऐसे में यदि पत्रकारिता उनसे परे हो जाए तो फिर समाज से भी वह एक समानांतर दूरी जैसी ही बना लेगी। मुख्यधारा की पत्रकारिता में ऐसा दिखता भी है। नकारात्मक समाचार ही खबर है कि अवधारणा वाली पत्रकारिता में अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की कमी को बीती एक सदी में कल्याण ने पूरा किया है। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसकी नींव रखी और सालों तक ध्वजवाहक बने रहे। उनके प्रयाण के बाद भी यदि 'कल्याण' का प्रकाशन उसी वैचारिक धरातल पर टिका हुआ तो इसके लिए गीता प्रेस भी प्रशंसा का पात्र है। बीते साल यानी 2025 में ही उसने विशेषांक के रूप में पर्यावरण अंक का प्रकाशन किया था। इसमें प्रकाशित लेखों में यह जानकारी दी गई थी कि कैसे भारतीय संस्कृति और जीवन-रीति में पर्यावरण के संरक्षण की भावना रची-बसी है। यह अंक उस समय आया है, जब पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप को लेकर मंथन चल रहा है। वातानुकूलित कमरों में बैठकर होने वाली पर्यावरण संबंधी चर्चाएं कंपनियों के सीएसआर फंड को खर्च करने की एक नीति भर बन जाती हैं। किंतु कल्याण ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर ही बात नहीं की बल्कि भारतीय जीवन पद्धति कैसे उसका समाधान बन सकती है और एक दौर में वह कितनी पर्यावरण अनुकूल रही है। इस प्रकार बीती एक सदी में उद्योग बनती पत्रकारिता के बीच कल्याण के 100 वर्ष उल्लेखनीय हो जाते हैं। उसका हर अंक संग्रहणीय रहा है तो आगामी वर्षों में भी उससे उम्मीद अधिक होगी। ●

मूकनायक से प्रबुद्ध भारत का संकल्प
सामाजिक एकात्मता की पत्रकारीय यात्रा

डॉ. चंदन आनंद

भीमराव आंबेडकर ने वर्ष 1917 में विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद सबसे पहले पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक जीवन में कदम रखा। उनके द्वारा निकाले गए चार समाचार पत्र 'मूकनायक'(1920), 'बहिष्कृत भारत'(1927), 'जनता'(1930) और जनता से 'प्रबुद्ध भारत' (1956) की यात्रा पत्रकारिता के माध्यम से उनके वैचारिक और सामाजिक जीवन को परिलक्षित करती है। 25 नवंबर, 1927 के 'बहिष्कृत भारत' में 'अस्पृश्यता व सत्याग्रह की सफलता' नामक लेख में अपने पत्रकारीय और सामाजिक संकल्प की ओर इशारा करते हुए डॉ. आंबेडकर लिखते हैं, 'अस्पृश्यता के परिणाम स्वरूप केवल अछूतों का ही नुकसान हुआ है, यही न होकर सवर्णों तथा देश का असीमित नुकसान हुआ है। अस्पृश्यता के कारण केवल अछूत ही कलंकित नहीं हुए हैं, वरन सवर्ण भी कलंकित हुए हैं। जिन्हें निम्न माना जाता है, उनका तो अपमान होता ही है। परंतु जो दूसरों को नीच मानते हैं, स्वयं उनकी नैतिकता भी गिर जाती है। अछूत लोग अस्पृश्यता के गर्त से बाहर निकलकर स्वतंत्र होने पर वे केवल अपनी ही उन्नति नहीं करेंगे, वरन अपने पराक्रम, बुद्धि बल तथा व्यवसाय से देश को भी समृद्ध करेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन पतितोद्धार का आंदोलन न होकर सच्चे अर्थों में समाज के संगठन का आंदोलन है......।'

डॉ. आंबेडकर के समय में यदि भारत का परिदृश्य देखा जाए तो स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने स्वयं को झोंका हुआ था। हर कोई अपने व्यवहार और विचार के अनुसार संघर्षरत था, लेकिन इस लड़ाई में एक हथियार जो सबने अपनाया, वह था पत्रकारिता। तिलक, गांधी, मालवीय, सावरकर, श्री अरविंद, सुभाषचन्द्र बोस जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने समाचार-पत्रों का बहुत कुशलता से उपयोग किया। बहुतों ने तो स्वयं भी कई समाचार-पत्रों का संचालन व संपादन किया। ऐसे समय में भारत में सामाजिक न्याय और समरसता को महत्व देते हुए डॉ. आम्बेडकर ने भी समाज के जागरण और संगठन के अपने संकल्प की पूर्ति हेतु पत्रकारिता का सहारा लिया।

'मूक' वर्ग का नायकत्व

कोल्हापुर के 'शाहू महाराज' के सहयोग से 1920 में डॉ. आम्बेडकर ने अपना पहला मराठी पाक्षिक 'मूकनायक' निकाला। उन्होंने डॉ. आंबेडकर को समाचार-पत्र निकालने के लिए ढाई हजार रुपये की राशि भेंट की। 31 जनवरी, 1920 को 'मूकनायक' के प्रकाशन के साथ डॉ. आंबेडकर ने अपने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत की या कहें कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 'मूकनायक' के माध्यम से पत्रकार के रूप में हुई। समाचार पत्र निकालने की आवश्यकता के बारे में बताते हुए आंबेडकर मूकनायक में ही लिखते हैं, 'बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय के उपाय सोचकर उनकी भावी उन्नति व उनके मार्ग के सच्चे स्वरूप की चर्चा करने के लिए वर्तमान पत्रों जैसी अन्य भूमि नहीं... 'मूकनायक' को चंदा-दाताओं, ग्राहकों का सहयोग बना रहा तो यह बिना लड़खड़ाए स्वजन हित करेगा।' अस्पृश्यता के रूप में समाज को कलंकित करने वाली व्यवस्था के बारे आंबेडकर का स्पष्ट मत था कि 'यह धर्मरक्षण नहीं, धर्म द्रोह है।' 31 जनवरी, 1920 के मूकनायक के संपादकीय में वे लिखते हैं कि 'इस विषमता के अनुरूप होने वाले व्यवहार का स्वरूप हिन्दू धर्म की शील (नैतिकता) के लिए शोभनीय नहीं है।'

'मूकनायक' के शीर्षक के नीचे प्रत्येक अंक पर संत तुकाराम के अभंग की पंक्तियां छपी हुई होती थीं। संत तुकाराम की पंक्तियां डॉ. आंबेडकर के पहले समाचार-पत्र 'मूकनायक' का मनोगत थीं। 'मूकनायक' में डॉ. आंबेडकर ने कुल चौदह संपादकीय लेख लिखे। जब मूकनायक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, उस समय सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक होने के कारण डॉ. आंबेडकर 'मूकनायक' के संपादक नहीं हो सकते थे। उन्होंने मूकनायक के संपादन की जिम्मेदारी अन्य लोगों को दी, लेकिन सामग्री के सृजक वही थे। इस बीच विदेश मे अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने की डॉ आम्बेडकर की तीव्र इच्छा थी। उनके अध्ययन के लिए विलायत चले जाने पर अन्य सम्पादकों के द्वारा मूकनायक का उचित संचालन नहीं हो सका, परिणामतः अप्रैल, 1923 में मूकनायक का प्रकाशन बन्द हो गया।

'पुनश्चः हरि ऊँ' की गर्जना

विदेश से एक बार पुनः लौटने के बाद 1923 से डॉ. आंबेडकर सामाजिक जीवन में सक्रिय हुए। जुलाई, 1924 को अस्पृश्य वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की गई थी। डॉ. आम्बेडकर के नेतृत्व में सभा द्वारा 19-20 मार्च, 1927 को महाड़ के चवदार तालाब पर पानी के लिए आंदोलन किया गया। चावदार तालाब आंदोलन के बाद कुछ लोगों द्वारा तालाब के शुद्धिकरण के कार्य से आहत होकर डॉ. आम्बेडकर ने महाड़ में पुनः सत्याग्रह करने की ठानी। उनके द्वारा बुलाई गई सभा में डॉ. आंबेडकर ने पुनः यह घोषणा की, 'हमारी यह सभा अभूतपूर्व है। यह सभा समता की नींव डालने के लिए बुलाई गई है... हमारी यह सभा हिन्दू समाज का संगठन करने के लिए बुलाई गई है।'

दरअसल महाड़ आंदोलन के बाद डॉ. आंबेडकर पर आलोचकों के हमले होने लगे। समाचार-पत्रों से अपना मत प्रतिपादन करने और विरोधियों के मतों और टिप्पणियों का खंडन करने की आवश्यकता डॉ. आंबेडकर को अब तीव्रता से महसूस होने लगी। इसलिए उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को 'बहिष्कृत भारत' नामक अपना दूसरा पाक्षिक निकाला। इस पत्रिका के संपादक डॉ. आंबेडकर स्वयं थे। मूकनायक के अनुभव से आहत इस पत्रिका की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। पहले अंक के मुखपृष्ठ पर अण्डाकार आकृति के मध्य में अखंड भारत का मानचित्र रेखांकित है, दायें-बायें दोनों सिरों पर अर्धमुखी दो बब्बर शेरों (मानो अस्पृश्य समाज) को जंजीर तोड़ते हुए दिखाया गया है। मानचित्र रेखांकन के अन्तगर्त ही 'बहिष्कृत भारत' शीर्षक मोटे अक्षरों में अंकित है। लेकिन दूसरे अंक से इसमें कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। पहले पन्ने पर जो सिंह का चित्र होता था, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर बड़े अक्षरों में 'बहिष्कृत भारत' लिखा गया था। 'बहिष्कृत भारत' में अपने प्रत्येक सम्पादकीय का प्रारंभ डॉ. आंबेडकर 'पुनश्च हरि ऊँ' के साथ करते हैं।

'बहिष्कृत भारत' के माध्यम से आंबेडकर ने स्वजनों को विचार देना और आलोचकों पर हमला करना शुरू किया। डॉ. आम्बेडकर ने बड़े उत्साह के साथ बहिष्कृत भारत की शुरुआत की, लेकिन धन के अभाव के कारण इसका प्रकाशन भी रुक गया। 15 नवंबर, 1929 को पत्रिका का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ। 'मूकनायक' की तरह ही बहिष्कृत भारत भी अल्पजीवी साबित हुआ। बहिष्कृत भारत के चौबीस-चौबीस कॉलम लिखने के लिए अकेले डॉ. आंबेडकर को ही प्रयास करने पड़ते थे। इस पत्र ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। 'मूकनायक' का ध्येय वाक्य संत तुकाराम की पंक्तियां होने के बाद 'बहिष्कृत भारत' के शीर्ष पर संत ज्ञानेश्वर द्वारा काव्यात्मक भावानुवादित भगवद्गीता का श्लोक पत्रिका का ध्येय वाक्य था, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को स्वधर्म की प्रतिष्ठा को अमल में लाने के लिए युद्ध करने को कहते हैं, जिससे विश्व में उसका यश बढ़ेगा। डॉ. आम्बेडकर अपनी लेखनी में बहुत जगह भारत के संत समाज, गीता, महाभारत और रामायण के उद्धरणों को स्थान दिया है। उनकी अपनी पत्रकारिता, लेखन में भारतीय धर्मशास्त्रों, पौराणिक-कथाओं के ही उद्धरण अधिक होते थे। वे स्वयं धार्मिक स्वभाव के होने के नाते इस बात को बखूबी जानते थे कि भारतीय समाज कथा-कहानियों और पौराणिक कथनों के उदाहरणों से अधिक स्पष्टता से समझता है।

विज्ञापन से धनार्जन

पैसों के अभाव में 'बहिष्कृत भारत' बंद करना पड़ा लेकिन समाचार पत्र को चलाने के लिए डॉ. आंबेडकर ने कभी विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। विज्ञापन को लेकर उनकी दृष्टि स्पष्ट थी। 3 फरवरी, 1928 के 'बहिष्कृत भारत' में वे लिखते हैं- 'विज्ञापन द्रव्य-लोभ बढ़ाने का कारण है। द्रव्य-लोभ के कारण अनीति को उत्तेजना देने, भ्रम फैलाने, पाठकों की अनिष्ट कारक वासना उद्दीप्त करने, कामोत्तेजक औषधि सेवन, विलायती दारू के अनेक विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। बहिष्कृत भारत समय पर नहीं निकला है, परंतु आठ पृष्ठ का पाक्षिक निकालकर चार पृष्ठ विज्ञापन के लिए देने की प्रणाली क्या बहिष्कृत भारत के कालम क्या तलाक के नोटिस या फिजूल की गप्पबाजी से भरे पड़े थे? इस संपादक को बताने में गर्व महसूस होता है कि बहिष्कृत भारत ने अपने पूरे आठ पृष्ठ पाठकों/संपादकों को समर्पित किए हैं। अच्छे या बुरे विज्ञापनों का उसने स्पर्श तक होने नहीं दिया है। उसमें बड़े-बड़े शीर्षक, लाइनें की लाइनें (पंक्ति) छोड़ने इतनी जगह बर्बाद नहीं हुई है। लेखन का स्तर देखने पर बहिष्कृत भारत यह निकृष्ट पाक्षिक है, ऐसा कभी भी कोई कह नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो कुछ नामी समाचारपत्र हैं, उसमें से एक पत्र बहिष्कृत भारत है।'

स्वबोध से स्वाभिमान

अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्व का बोध कराते हुए डॉ. आम्बेडकर कई बार समाज के स्वाभिमान को जगाने का भी कार्य करते हैं। 20 मई, 1927 के बहिष्कृत भारत में लिखे अपने लेख 'महाड का धर्मसंग्राम तथा अछूतों की जिम्मेदारी' के अंतिम हिस्से में वह अस्पृश्य समाज को उसके गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि

अस्पृश्य वर्ग मेष राशि का नहीं अपितु सिंह राशि का है। अतः इतिहास में इन जातियों के शूरवीरों ने मुगलों और अंग्रेजों जैसे आक्रांताओं को धूल चटाकर मराठा साम्राज्य का गौरव ऊंचा रखा है। इसलिए स्वयं को कमजोर न मानते हुए अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए तुरंत कार्य करना होगा।' इस लेख के माध्यम से वह दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली तो यह कि अस्पृष्य हुआ वर्ग हिन्दू समाज का वीर वर्ग रहा है और उसे उसी वीरवृत्ति का पालन करते हुए अपनी स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। दूसरा, देश और धर्म के शत्रुओं को उन्होंने सदैव चुनौती देने का कार्य किया है। वहीं 25 नवंबर, 1927 के बहिष्कृत भारत में 'अस्पृष्यता व सत्याग्रह की सफलता' शीर्षक से लिखे अपने एक लेख में हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा में समाज के प्रत्येक अंग की भूमिका और उसके अधिकार को रेखांकित करते हुए डॉ. आंबेडकर लिखते हैं, 'सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हिंदुत्व की प्राण प्रतिष्ठा वक्षिष्ठ जैसे ब्राह्मण, कृष्ण जैसे क्षत्रिय, हर्ष जैसे वैश्य तथा तुकाराम जैसे शूद्र ने जितनी की है, उतनी ही प्राण प्रतिष्ठा वाल्मीकि, चोखोबा तथा रैदास जैसे अस्पृश्यों ने भी की है। इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए हजारों अछूतों ने अपना जीवन अर्पित किया है। गीता के अछूत शिकारी से लेकर खर्डा की लड़ाई के सिदनाक महार तक जिन अछूतों ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सिर हथेली पर रखकर पराक्रम दिखाया, उनकी संख्या कोई कम नहीं है। जिस हिंदुत्व की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सवर्णों-अछूतों ने मुट्ठी-मुट्ठी मिट्टी डालकर आधार सुदृढ़ किया है तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका रक्षण किया है, उसी हिंदुत्व के नाम पर खड़े किए गए मंदिर जितने सवर्णो के हैं, उतने ही वे अछूतों के भी हैं। एक अधिकार तथा दूसरा अधिकार-वंचित यह कैसे हो सकता है? अछूतों को कभी पराया नहीं कहा जा सकता है। अछूत पराए नहीं वरन् वे हिंदू ही हैं। हिंदू धर्म उनका है तथा वे हिंदू धर्म के हैं। यह सब देखते हुए हिंदू मंदिरों पर अछूतों का भी उत्तराधिकार है यह बात सबको माननी पड़ेगी।'

अंग्रेजी भी खूब पढ़ी, पर निज भाषा का गौरव नहीं छोड़ा

डॉ. आंबेडकर अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने विश्व के बड़े शिक्षण संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तथापि अपनी मातृभाषा मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं को वह सबसे अधिक महत्व देते थे। 1920 में 'मूकनायक' से अपने सामाजिक जीवन को प्रारंभ करने वाले डॉ. आम्बेडकर ने मराठी को अपने समाचार-पत्र की भाषा के रूप में चुना। इसके बाद के भी अपने सभी समाचार उन्होंने मराठी में निकाले। डॉ. आंबेडकर अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे और भारत में अंग्रेजों का शासन होने की वजह से अंग्रेजी के माध्यम से वह विदेशी शासन तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। लेकिन एक सही पत्रकार के रूप में अपने लोगों और लक्षित पाठकों से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी पत्रकारिता मराठी भाषा में ही की। भारतीय भाषाओं के प्रति उनका विशेष लगाव था। डॉ. आंबेडकर की जीवनी में धनंजय कीर लिखते हैं कि आम्बेडकर चाहते थे कि 'हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो। वे नागरी लिपि के बड़े हिमायती थे।'

जनता से प्रबुद्ध भारत तक की यात्रा

'बहिष्कृत भारत' के बंद होने के एक वर्ष बाद अर्थात् 24 नवंबर, 1930 को नए समाचार-पत्र 'जनता' का पहला अंक प्रकाशित हुआ। डॉ. आंबेडकर द्वारा इस पत्रिका के संपादक के रूप में देवराव विष्णु नाईक को नियुक्त किया गया था। दे. वि. नाईक अस्पृश्यता उन्मूलन 'दोलन में सक्रिय सहयोगी ब्राह्मण कार्यकर्ता थे। 1955 तक विभिन्न लोगों ने इसके संपादक की भूमिका निभाई। 'जनता' पत्रिका के शीर्ष स्थान पर यह मुद्रित किया जाता था कि यह डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में निकलने वाली पत्रिका है। 'जनता' का प्रारंभ एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था। बाद में 31 अक्तूबर 1931 को वह साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित हो गयी थी।

अपनी पूर्व की पत्रिकाओं की भांति डॉ. आंबेडकर के इस पत्र के शीर्ष पर भी संस्कृत में कोई आदर्श वाक्य छपा होता था। 'जनता' का प्रकाशन काल डॉ. आंबेडकर के जीवन की सर्वाधिक जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं और संघर्ष का काल रहा है। इस समय डॉ. आम्बेडकर की व्यस्तता काफी अधिक बढ़ गई थी। इसके बावजूद वह 'जनता' में लिखने के लिए समय निकालते रहते थे। 'जनता' के स्वरूप के बारे में और नीति के बारे में वे समय-समय पर मार्गदर्शन भी करते थे। 1930 के बाद उनके लगभग हर प्रमुख भाषण, उनके पत्र एवं प्रतिक्रियाओं को बड़ी प्रमुखता से 'जनता' में स्थान मिलता था। 'जनता' पत्रिका ने डॉ. आंबेडकर को अपने विचारों को अपृश्यों, वंचित वर्गों एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नेताओं तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'मूकनायक' और 'बहिष्कृत भारत' की तरह 'जनता' में भी डॉ. आंबेडकर गीता, महाभारत, धर्मशास्त्रों, लोककथाओं और संतों की वाणी को निरंतर लेखों में उद्धृत करते हैं।

'जनता' साप्ताहिक 25 वर्षों तक निकला। इस दौरान बीच में कई बार इसका प्रकाशन खंडित हुआ, पर इसकी गति रुकी नहीं। समय के साथ, डॉ. आंबेडकर बुद्ध की शरण में जाने लगे। मई, 1950 में महाबोधि सोसायटी के मुखपत्र में बौद्ध मत पर उन्होंने एक विस्तृत लेख लिखा। इसी माह 'जनता' पत्र को दिए साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे बौद्ध धम्म को पर्यायी धम्म के रूप में देख रहे हैं। 4 फरवरी, 1956 को 'जनता' पत्र का नाम बदल दिया गया। अब वह 'प्रबुद्ध भारत' नाम से निकलने लगा। 'प्रबुद्ध भारत' कोई नई पत्रिका नहीं थी, अपितु 'जनता' का ही विस्तार था। 'मूकनायक' से लेकर 'प्रबुद्ध भारत' तक की यह यात्रा एक प्रकार से डॉ. आंबेडकर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की ही यात्रा थी। हिन्दू समाज की पुनर्संरचना के इतिहास में इस यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्त्व है। डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित ये समाचार-पत्र समय की आवश्यकता थे। इन समाचार-पत्रों को उस समय देश में जो कई तरह के आंदोलन चल रहे थे, घटनाएं घट रही थीं और जो परिवर्तन हो रहे थे, उसकी पूरी समझ थी। इन समाचार-पत्रों ने समाज स्थिति के साथ समझौता करने के बजाय समाज स्थिति को बदलने का संकल्प किया था। सामाजिक समरसता और संगठन का यह संकल्प अछूत समाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण हिन्दू समाज तक फैल गया था।

डॉ. आंबेडकर ने अपने कार्यों को सार्थकता प्रदान करने के साथ-साथ पत्रों को भी अर्थपूर्ण नाम दिये जब अस्पृश्य 'मूक' था तो उन्होंने 'मूकनायक' नाम दिया और जब सम्बन्धित वर्ग विशेष को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग-अलग अर्थात् बहिष्कृत किया पाया तो पत्र को भी 'बहिष्कृत भारत' नाम दिया। जब समाज के संगठन की तरफ उनके प्रयास बढ़े तो 'जनता' नाम दिया गया और अंत में 'प्रबुद्ध भारत' की परिकल्पना से अपने राष्ट्रीय संकल्प की ओर इशारा किया। ●

अमेरिका-इज़रायल और ईरान संघर्ष में जारी सूचना युद्ध

डॉ. रविंद्र सिंह भड़वाल

राजनीति विज्ञान के विद्वान जोसफ न्ये का एक बड़ा चर्चित कथन है कि सूचना युग में किसी भी महाशक्ति की पहचान केवल इस तथ्य से निर्धारित नहीं होती है कि किसकी सेना युद्ध में विजय प्राप्त करती है, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि किस पक्ष की कहानी जीतती है। इज़रायल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी युद्ध में शामिल हर पक्ष जोसफ के इसी सिद्धान्त को अपनी रणनीति के केन्द्र में रखकर युद्ध को लड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस हाइब्रिड वॉरफेयर में अपनी जीत को वैधता प्रदान करने के लिए हर पक्ष सूचनाओं का बेहद रणनीतिक ढंग से उपयोग कर रहा है।

युद्ध से पत्रकारों के लिए पैदा हुआ संकट

पश्चिमी एशिया में जारी इस संघर्ष को लेकर 'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' ने पत्रकारों की गिरफ्तारियों, रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप, मीडिया संस्थानों को क्षति पहुंचाने वाले हवाई हमलों तथा मीडिया कवरेज पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया है। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 मार्च तक युद्ध के कारण 3 पत्रकारों की मृत्यु हुई है। 8 पत्रकारों को हमलों, धमकियों या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। 8 मीडिया संस्थानों को हवाई हमलों में क्षति पहुंची है, जिनमें कुछ मामलों में पत्रकारों के घायल होने की भी सूचना है। इसके अतिरिक्त 9 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई। विश्व के अनेक देशों में सेंसरशिप के उपाय लागू किए गए, जिनमें ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट भी सम्मिलित है। साथ ही, 10 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा, जो यह संकेत देता है कि युद्ध के इस परिदृश्य में सूचना का प्रवाह न केवल नियंत्रित किया जा रहा है, बल्कि व्यवस्थित रूप से सीमित भी किया जा रहा है।

अमेरिका का राजनीतिक एवं नियामकीय दबाव

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले संशोधन के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में अमेरिका में पत्रकारिता पर किसी तरह का प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाना कानून के दायरे में बेहद कठिन हो जाता है। मगर वर्तमान युद्ध के समय में सशक्त राजनीतिक दबाव के अंतर्गत अमेरिकी अधिकारी प्रायः मीडिया संस्थानों की आलोचना करते हुए उन्हें अवैध ठहराने का प्रयास करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में पत्रकारों को 'पक्षपाती', 'अदेशभक्त' (जो देशभक्त न हो) या 'भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाला' जैसे लेबल चस्पां किए जा रहे हैं। ये सब हथकंडे प्रत्यक्ष नियंत्रण के बजाय परोक्ष दबाव की एक प्रभावी रणनीति के रूप में कार्य करते हैं।

दूसरा, रेग्युलेटरी सिगनलिंग के अंतर्गत फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (एफसीसी) के अध्यक्ष ब्रैंडन कैर ने प्रसारकों को चेतावनी दी है कि यदि वे युद्ध से संबंधित उस सामग्री का प्रसारण करते हैं, जिसे उनके अनुसार "भ्रामक समाचार" माना जाएगा, तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। यह चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिका-इज़रायल युद्ध की कवरेज को लेकर मीडिया की आलोचना की थी। ब्रैंडन कैर ने सीबीएस न्यूज से बातचीत में स्पष्ट किया कि प्रसारण लाइसेंस कोई "संपत्ति का अधिकार" नहीं हैं। ये लाइसेंस इन्हें इसलिए जारी किया जाता है कि प्रसारक जनहित की सेवा करें। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि यदि प्रसारण संस्थान इस मानदंड का पालन नहीं करते, तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। यह परोक्ष रूप से मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की एक सशक्त नियामकीय रणनीति मानी जा रही है।

तीसरा, सूचनाओं को नियंत्रित करने की इसी रणनीति का दबाव वहां की सेना पर भी दिखता है। पेंटागन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वह ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान की सफलता को कम करके प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने सैन्य अभियानों की कवरेज की आलोचना की, टेलीविज़न रिपोर्टों के लिए वैकल्पिक शीर्षकों का सुझाव दिया और विशेष रूप से सीएनएन का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि उसके

स्वामित्व और प्रबंधन में परिवर्तन किया जाए तो उनको सुधारा जा सकता है। इसी क्रम में पेंटागन ने पत्रकारों की पहुंच पर और अधिक कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए गए। पेंटागन ने घोषणा की है कि वह भवन के भीतर पत्रकारों के लिए निर्धारित प्रेस क्षेत्र को बंद कर देगा तथा अब पेंटागन में सभी पत्रकारों की पहुंच अधिकृत विभागीय कर्मियों की निगरानी में ही संभव होगी। यह कदम स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मीडिया की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति किस प्रकार संस्थागत रूप लेती जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर समाचार संस्थानों पर ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी लक्ष्यों पर हुए हमलों की 'भ्रामक रिपोर्टिंग' करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि कुछ मीडिया संस्थान, जिन पर उन्होंने ईरान के साथ मिलकर एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले को लेकर फेक न्यूज चलाने का आरोप लगाया, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन मीडिया रणनीति को नए ढंग से गढ़ रहा है। इसमें पारंपरिक समाचार संस्थानों की अपेक्षा दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्ज और पॉडकास्ट निर्माताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जो राष्ट्रपति की वैचारिक दृष्टि से सामंजस्य रखते हैं। यह प्रवृत्ति मीडिया संरचना में एक व्यापक परिवर्तन का संकेत दे रही है, जहां सूचना के पारंपरिक स्रोतों की जगह वैकल्पिक और वैचारिक रूप से अनुकूल मंचों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **इजरायल में बीबीसी और CNN भी आए निशाने पर, हटाने की कोशिश**
- **ईरान ने हमलों की रिपोर्टिंग को ही घोषित किया 'दुश्मन के साथ सहयोग'**
- **जंग के बीच कश्मीर में भी चला नैरेटिव वारफेयर, फेसबुक और इंस्टा ने भी लिया ऐक्शन**

इज़रायल में मीडिया पर सख्त सेंसरशिप

इज़रायल में युद्ध के दौरान मीडिया पर नियंत्रण एक अलग रूप में दिखाई देता है। यहां का मीडिया नियंत्रण कड़े सैन्य सेंसरशिप, मैदान में काम कर रहे पत्रकारों को रोकने और ईरान तथा लेबनान के मीडिया संस्थानों को निशाना बनाने पर आधारित दिखता है। इज़रायली सैन्य सेंसर ने विदेशी मीडिया के लिए नए निर्देश जारी किए, जिनमें इज़रायल के भीतर रॉकेट हमलों की कवरेज को सीमित किया गया। इन निर्देशों के तहत सायरन बजने के दौरान लाइव प्रसारण पर रोक, मिसाइल इंटरसेप्शन या सुरक्षा ठिकानों के पास हमले के स्थानों की वीडियो बनाने पर प्रतिबंध और बिना अनुमति के सटीक हमले की जगह बताने या सोशल मीडिया के वीडियो साझा करने पर रोक शामिल है। सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और संचार मंत्री श्लोमो कराई ने सैन्य सेंसरशिप के नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी मीडिया के खिलाफ और कड़े कदमों की घोषणा की और इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। वहीं, इज़रायल की हाइफ़ा नगर पुलिस ने युद्ध से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही अंतरराष्ट्रीय मीडिया टीमों जैसे सीएनएन, फॉक्स न्यूज़, बीबीसी इत्यादि को हटाने की कोशिश की।

ईरान का इंटरनेट शटडाउन, मीडिया पर पाबंदियां

युद्ध के दौरान ईरान का मॉडल सूचना के प्रवाह पर सीधे नियंत्रण पर आधारित है। अमेरिका-इज़रायल के हमले शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद अधिकारियों ने पूरे देश में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। पत्रकारों ने बताया कि इस इंटरनेट शटडाउन के कारण खबरों के स्रोतों से संपर्क करना, रिपोर्ट और तस्वीरें भेजना तथा जमीनी जानकारी की पुष्टि करना कठिन हो गया। सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं, जिनमें सरकारी मीडिया भी शामिल था, को सरकार द्वारा नियंत्रित "व्हाइट इंटरनेट" के माध्यम से सीमित पहुंच दी गई।

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, तेहरान ने मीडिया कवरेज पर कानूनी प्रतिबंध और कड़े कर दिए। न्यायपालिका ने ईरान में अमेरिका या इज़रायल के हमलों की फोटो या रिपोर्टिंग को अपराध घोषित कर दिया और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि ऐसी सामग्री के प्रकाशन को "दुश्मन के साथ सहयोग" का संभावित प्रमाण माना जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने कई प्रांतों में छापेमारी कर उन लोगों को गिरफ्तार किया, जो विदेशी मीडिया संस्थानों जैसे इरान इंटरनेशनल, जिसे ईरान 'आतंकी चैनल' मानता है, को हमलों की तस्वीरें और जानकारी भेज रहे थे। ईरान की न्यायपालिका के मीडिया केंद्र ने बताया कि अधिकारियों ने अस्थायी रूप से कई समाचार वेबसाइटों और एक समाचार एजेंसी को ब्लॉक कर दिया है।

खाड़ी देशों में मीडिया नियंत्रण

अमेरिका-इज़रायल और ईरान युद्ध से खाड़ी देश भी काफी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यहां से भी युद्ध से संबंधित सूचनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। खाड़ी अरब देश कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस के केंद्र नहीं रहे हैं। लेकिन खाड़ी क्षेत्र की सरकारों ने मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर यहां मीडिया पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अपने सहयोगी ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले के हफ्तों में कतर ने स्पष्ट रूप से तेहरान का समर्थन किया। कतर ने इस युद्ध में राजनीतिक, कूटनीतिक और मीडिया के स्तर पर ईरानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों की तीखी आलोचना की। कतर सरकार जहां अनधिकृत सूचनाओं पर नियंत्रण कर रही थी, वहीं उसके प्रमुख मीडिया संस्थान अल जज़ीरा को भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक विस्तृत रिपोर्ट में अल जज़ीरा और अन्य क़तरी मीडिया पर "ईरानी शासन के प्रचारक" होने का आरोप लगाया, जबकि ईरानी मिसाइलें क़तर की जमीन पर गिर रही थीं।

संयुक्त अरब अमिरात के अटॉर्नी जनरल ने लोगों को उन स्थानों की तस्वीरें या वीडियो लेने और साझा करने से मना किया, जहां मिसाइल या उसके टुकड़े गिरे हों। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की सामग्री या भ्रामक जानकारी फैलाने से दहशत फैल सकती है। इन्हीं दिशानिर्देशों की अवहेलना के आरोप में यूएई ने 35 लोगों (जिनमें 19 भारतीय शामिल थे) की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो साझा किए थे। इन वीडियो में बच्चों की भावनाओं का दुरुपयोग कर झूठे सुरक्षा खतरे दिखाए गए, कुछ में सैन्य ठिकानों के नष्ट होने का दावा किया गया या विदेशी घटनाओं को यूएई से जोड़कर दिखाया गया, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके और भय फैलाया जा सके।

2 मार्च 2026 को यूएई की फेडरल पब्लिक प्रोज़िक्यूशन ने देश

के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कई खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इसने आरोप लगाया कि वे अवैध सामग्री प्रकाशित कर रहे थे और राज्य व उसके नेतृत्व का अपमान कर रहे थे। इसी तरह कतर में ही 500 से अधिक लोगों को अनधिकृत वीडियो क्लिप बनाने और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

भारत से संचालित सूचना युद्ध

भारत के राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर ईरान के प्रति वफादार कुछ भारतीयों ने भी इस सूचना युद्ध में निराशा पैदा करने वाली भूमिका निभाई। इस सूचना युद्ध के लिए सबसे बड़ा केंद्र बना जम्मू-कश्मीर का मुस्लिम बहुल कश्मीर संभाग। यहां कुछ लोगों ने खामेनेई की मृत्यु के बाद से ही माहौल बिगाड़ने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कई हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करना पड़ा। इन पर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर "झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक सामग्री" फैलाने का आरोप था। प्रशासन के अनुसार, कुछ तत्व जानबूझकर अप्रमाणित सामग्री फैलाकर अशांति भड़काने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और समाज में असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। एहतियात के तौर पर सरकार ने हालात सामान्य होने तक शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए, जबकि मोबाइल इंटरनेट की गति भी धीमी रखी गई। वहीं, इस अशांति के बीच मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्थानीय प्रमुख अखबारों के पेज ब्लॉक कर दिए।

दूसरी उल्लेखनीय घटना केरल से आती है। एक प्रमुख राष्ट्रीय टीवी चैनल के दो पत्रकारों को कोच्चि के मट्टनचेरी घाट के पास खड़े एक ईरानी युद्धपोत की तस्वीरें लेने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर केरल तट पर लंगर डाले जहाजों की तस्वीरें या वीडियो रिकार्डिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। गिरफ्तार पत्रकारों के साथ ही उस नाव के चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें सवार होकर वे युद्धपोत के पास गए थे। अधिकारियों के अनुसार, पत्रकारों ने ईरानी युद्धपोत आइरिस लावन की तस्वीरें लेने का प्रयास किया, जो तब कोच्चि तट के पास खड़ा था।

तीसरा मामला संयुक्त अरब अमीरात से आता है, जिसमें वहां रह रहे कुछ भारतीयों पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ी। दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इन आरोपियों में 19 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों ने क्षेत्रीय तनाव के बीच इंटरनेट पर ऐसी सामग्री साझा की जिससे लोगों में भ्रम और डर फैल सकता था। बाद में सभी आरोपियों को फास्ट-ट्रैक ट्रायल के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

सत्य जानने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में मीडिया एक सजग प्रहरी बनकर कार्य करता है, जो राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रचार, अधिकारों के दुरुपयोग तथा भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मगर युद्ध काल में मीडिया को नियंत्रित करने की भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा से देखने को मिलती रही है। यहां मीडिया पर नियंत्रण का तात्पर्य केवल सूचना के प्रवाह को सीमित करना नहीं होता। इसके पीछे जन-धारणाओं, वैधता तथा अंतरराष्ट्रीय जनमत को नियंत्रित करने की कोशिश रहती है। युद्ध काल में मीडिया को नियंत्रित करके सरकारें प्रायः पब्लिक पैनिक से बचने, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और अपनी शक्ति का सशक्त प्रदर्शन करने का प्रयास करती हैं। इस प्रक्रिया में चयनात्मक रिपोर्टिंग को अपनाया जाता है, अपनी हर छोटी-बड़ी विजय को प्रमुखता दी जाती है और हानियों को अपेक्षाकृत कम करके प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि प्रेस संगठनों ने चिंता जाहिर की है कि व्यापक प्रतिबंध न केवल जनधारणा को आकार देते हैं, बल्कि जनता की सटीक एवं वस्तुनिष्ठ सूचना तक पहुंच को भी सीमित कर देते हैं। कमोबेश यही स्थिति पश्चिमी एशिया में 28 फरवरी से जारी संघर्ष में भी देखने को मिल रही है।

इस युद्ध में जारी मीडिया घटनाक्रम को समझने के बाद कहा जा सकता है कि विमर्श और अभिमत को प्रभावित करने के लिए इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों ने मीडिया को अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं। निःसंदेह भ्रामक एवं झूठी खबरों के प्रसार को रोका जाना अनिवार्य है। मगर इसकी आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की मुक्त सूचनाओं तक पहुंच के अधिकार को भी छीना नहीं जा सकता। ऐसे में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स के महासचिव एंथनी बैलेंजर की टिप्पणी पर गौर किया जाना समीचीन होगा कि रिपोर्टिंग पर व्यापक प्रतिबंध सरकारों के लिए नैरेटिव को नियंत्रित करने और विश्वसनीय जानकारी के प्रवाह को बाधित करने का एक साधन बन सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब जनता को सबसे अधिक स्वतंत्र पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। ●

धरा गइले हा, गजब के कैच बा

डॉ हरीश चन्द्र

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारत और श्रीलंका पुरुष टी20 विश्व कप 2026 (7 फरवरी - 8 मार्च 2026) की मेजबानी का मौका दिया। जिसें बीसीसीआई ने एक अवसर के तौर पर भाषायी संचार के रूप में क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रस्तुत किया। हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी टी-20 विश्व कप का खिताब बेशक भारत ने लगातार दूसरी बार जीता, लेकिन इससे एक नयी पहल भी देखने को मिली। पहली बार भोजपुरी और हरियाणवी भाषा में कमेंट्री मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को सुनने को मिली। इस बार आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप-2026 की कमेंट्री भारत में नौ प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध कराई गई, जिसमें पहली बार भोजपुरी और हरियाणवी को शामिल किया गया था। इसके अलावा, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला भाषा में भी कमेंट्री की सुविधा उपलब्ध थी। यह प्रसारण जिओ स्टार/हॉट स्टार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व स्तर पर टी-20 विश्वकप की कमेंट्री अंग्रेजी के अलावा सिंहली, नेपाली, उर्दू के साथ-साथ जापानी, मंदारिन (चीनी), बहासा (इंडोनेशियाई) और पुर्तगाली में भी उपलब्ध थी। एक जानकारी के अनुसार, हिंदी और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं की कमेंट्री के लिए 40 से अधिक दिग्गजों का एक बड़ा पैनल तैयार किया गया था, जिसमें युजवेंद्र चहल, इरफान पठान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर जैसे पूर्व क्रिकेट कमेंटेटर्स शामिल रहे। देश के अधिकतर वर्ग को स्थानीय भाषा में कमेंट्री के माध्यम से छूने का प्रयास किया गया। इसके क्रिकेट जगत के लिए कई महत्वपूर्ण परिणाम और संदेश निकले हैं। इस बार टी-20 विश्वकप में समावेशी संचार भी देखने को मिला। एक समाचार पत्र के अनुसार इस विश्व कप के दौरान सांकेतिक भाषा का उपयोग करके मूक कमेंटेटरों ने बधिर दर्शकों के लिए मैच का अनुभव रोमांचक बनाया, जो खेल के प्रसार में एक बड़ा कदम है।

विश्वकप के दौरान क्रिकेट मैच का रोमांच अपनी पंसदीदा भाषा में देखने और कमेंट्री सुनने का दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। इसके साथ सोशल मीडिया में भी एक ही शॉट की अलग-अलग भाषा में कैसे कमेंट्री मैच के दौरान हुई, ऐसी छोटी-छोटी क्लिप भी वायरल होती रही। बीसीसीआई या प्रसारण करने वाली एजेंसी की इस पहल से संचार के क्षेत्र में नई ब्रॉडकास्ट तकनीकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से दर्शकों तक मैच की पहुंच आसान हुई, जिससे आईसीसी के राजस्व में भी भारी वृद्धि देखी गई है। एक दौर था, जब भारत में क्रिकेट की कमेंट्री हिंदी में भी पूरे मैच में रेडियो और टीवी पर देखने व सुनने को नहीं मिलती थी। बावजूद भारत के क्रिकेट प्रेमी फिर भी उत्साह के साथ रेडियो या टीवी के माध्यम से कमेंट्री का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब ब्रॉडकास्ट की तकनीक में बदलाव और हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं को भी कमेंट्री के रूप में प्रसारित करना नई पहल है। इससे क्रिकेट के प्रति लोगों की देखने और क्रिकेट कमेंट्री अपनी पंसद की स्थानीय भाषा में सुनने की रूचि बढ़ी है। आज तक क्रिकेट को खेल पर्यटन की दृष्टि के नजरिये से ही देखा जाता था, लेकिन इससे भारत की स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है, यह नई पहल है। अब यह पहल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी देखने को मिलेगी। ●

हेलुसिनेशन : क्या है AI का मतिभ्रम

संवाद सेतु डेस्क

मतिभ्रम एक ऐसी समस्या रही है, जिससे मनुष्य पीड़ित रहे हैं। वर्तमान समय के नवीनतम आविष्कार कहे जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने भी यह समस्या आ रही है। इसे ही कहा जा रहा है कि AI भी मतिभ्रम का शिकार होता है और इसलिए उसकी दी हुई किसी भी जानकारी पर ज्यों का त्यों भरोसा ठीक नहीं है। इसे ही एआई हेलुसिनेशन (AI Hallucination) यानी एआई का मतिभ्रम कहा जा रहा है। मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति तब कही जाती है, जब उसका मस्तिष्क कुछ भी सोच लेता है और उन्हें ही वास्तविक मान लेता है। ऐसी स्थिति में कोई आवाज सुनने का आभास होता है, जो किसी और को सुनाई नहीं देती। कुछ ऐसा दिखने का भी आभास होता है, जो वास्तव में होता ही नहीं। ऐसी ही स्थिति जब AI के साथ पैदा होती है तो उसे भी हेलुसिनेशन कहा जाता है। जैसे-जैसे AI का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही यह शब्द भी प्रचलन में आ रहा है। बीते दिनों AI के माध्यम से जब कोई समाचार, रिपोर्ट अथवा फीचर लिखवाने के प्रयास हुए तो ऐसा ही हुआ कि AI ने अवास्तविक चीजों को ऐसे प्रस्तुत करके लिख दिया, जैसे कोई वास्तविक घटना हो। फिर जब उन खामियों को पकड़ा गया तो पाया गया कि यह AI के अपने दिमाग की उपज है यानी उसका हेलुसिनेशन है और वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं।

यहां उदाहरण के रूप में हम एक चर्चित प्रकरण को लेते हैं, जिसमें अखबार को AI की गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। यह वाकया अमेरिकी अखबार शिकागो सन-टाइम्स से जुड़ा है और 2025 का है। अखबार ने मई में छपे एक लेख में पाठकों को सुझाव दिया था कि आप इन गर्मियों में कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अखबार ने एक सूची ही ऐसी पुस्तकों की प्रकाशित की थी। इस सूची को उसने AI से तैयार कराया था और यहीं पर चूक हो गई। AI ने ऐसी कई पुस्तकों के नाम सुझा दिए, जो वास्तव में लिखी ही नहीं गई थीं। इसके बाद पूरा मामला पाठकों ने ही उजागर किया, जब उन्हें अखबार की ओर से सुझाई पुस्तकों की कोई सूची ही प्राप्त नहीं हुई। समाचार पत्र को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा तो उसने क्षमा मांगते हुए अखबार में ही स्पष्टीकरण भी प्रकाशित किया।

समाचार पत्र ने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा, 'हमारे विशेषांक में सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की ओर से पुस्तकों की एक सूची प्रकाशित की गई थी। यह हमारे लिए निराशाजनक है कि सूची में दी गई पुस्तकें वास्तव में कहीं पाई ही नहीं जातीं। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भविष्य में हमारी यह प्रतिबद्धता रहेगी कि फिर कभी ऐसी गलती ना होने पाए।' सन-टाइम्स ने यह भी लिखा कि इस सूची की हमारी संपादकीय टीम ने समीक्षा नहीं की थी और इसी के कारण यह चूक हो गई। अखबार ने अपने बयान में AI पर ही पूरे प्रकरण का ठीकरा फोड़ते हुए लिखा, 'हम ऐसे समय में हैं, जब बड़े पैमाने पर तकनीक में बदलाव हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारीय पेशे की अपनी चुनौतियां हैं। यह हम सभी समाचार संगठनों के लिए एक सीखने का मौका होना चाहिए। हमारे काम की गरिमा इसलिए बनी रही है क्योंकि उसके पीछे मानव व्यवहार लगा रहा है।' कई प्रकरण आए हैं, जिनके बाद एआई हेलुसिनेशन जैसी शब्दावली चर्चा में आई है।

AI के मतिभ्रम से कैसे बचें?

आखिर एआई को मतिभ्रम क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इस पर आईटी सेक्टर की कंपनी आईबीएम ने विस्तार से बात की है। कंपनी का कहना है कि जेनेरेटिव एआई मॉडल की यह सीमा है कि वह इनपुट से ही आउटपुट देता है। कई बार जब उसके पास उचित डेटा नहीं होता है तो फिर वह हेलुसिनेशन की स्थिति का शिकार होता है और काल्पनिक चीजें ही बता देता है। कंपनी कहती है कि हमें मॉडल ऐसा तैयार करना चाहिए कि पहले तो इनपुट सही रहे और फिर पूरी जानकारी ना होने की स्थिति में AI खुद ही बताए कि हमारे पास इस विषय पर पर्याप्त सूचना का अभाव है। एक मुख्य सलाह कंपनी और देती है कि किसी भी AI डाटा की मनुष्य द्वारा समीक्षा होनी ही चाहिए। यह किसी भी AI मॉडल का आखिरी चरण है और इसके पूरा हुए बिना उसके द्वारा दी गई जानकारी को सही और अंतिम नहीं माना जा सकता। आईटी कंपनी ने भी स्वीकार किया है कि एआई के काम में भी मानवीय दखल की पर्याप्त जरूरत रहेगी, किंतु उसके लिए मनुष्य को भी खुद को तैयार करना होगा। ●

आईटी नियमों में संशोधन की पहल ने छेड़ी अभिव्यक्ति बनाम अधिकार की बहस

यदि आप भी सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन माध्यम से समाचार प्रसारित करते हैं तो यह आईटी ऐक्ट में प्रस्तावित बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इस पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन सुझावों को अमल में लाने के बाद विधेयक तैयार होगा, जिसे सदन में पेश किया जाएगा। सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके मुताबिक सरकार सोशल मीडिया यूजर्स और इनफ्लुएंसर द्वारा पोस्ट किए जाने वाले न्यूज कंटेंट को हटा सकेगी। ऐसा इस उद्देश्य के तहत किया जाएगा कि अफवाहों, गलत सूचनाओं, भ्रामक चीजों को हटाया जा सके। इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी मजबूत हो सके। इसके लिए आईटी ऐक्ट, 2021 में संशोधन किया जाएगा। अब नए संशोधन का उद्देश्य होगा कि कानून को और स्पष्ट बनाया जाए। इसके अलावा इंटरनेट को सभी यूजर्स के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना भी एक मकसद है।

नए प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यमों पर ऐसे लोगों पर नियंत्रण किया जाएगा, जो अपुष्ट सूचनाओं को भी समाचार के तौर पर प्रसारित करते हैं। अब नए नियमों में जवाबदेही का भी प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को लेकर भी नियमावली स्पष्ट रहेगी। नए आईटी प्रस्तावों के साथ सरकार का उद्देश्य सख्त नियम जारी करना है। सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और गैरकानूनी सामग्री को 2-3 घंटों के भीतर तेजी से हटाना है। केंद्र सरकार ने समाचार सामग्री पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं पर भी आईटी नियमों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। आईटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 30 मार्च, 2026 को जारी अपने नोटिस में कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य 'खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट' सुनिश्चित करना और मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों, सलाहों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत ऑनलाइन माध्यमों को सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए सरकारी सलाहों, आदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

इसके प्रावधानों के अनुसार सरकार का नियामक नियंत्रण व्यापक होगा और यह निर्देश दिया जाएगा कि गैर-प्रकाशकों या सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई समाचार और समसामयिक सामग्री पर भी नियम लागू होंगे। इससे प्रभावशाली व्यक्तियों और सामग्री निर्माताओं पर भी असर पड़ेगा। सोशल मीडिया की शब्दावली में जिन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, उन पर इसका सीधा असर होगा। मसौदे के अनुसार, ये प्रावधान उन समाचार और समसामयिक सामग्री पर लागू होंगे जो गैर-प्रकाशकों द्वारा कंप्यूटर संसाधनों पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा किए जाते हैं। ऑनलाइन माध्यमों को सूचना मिलने के 2-3 घंटों के भीतर अवैध सामग्री को हटाना होगा। सामग्री उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को एक समिति संभालेगी और मंत्रालय को सिफारिशें देगी। इससे पूर्व में मेटा और एक्स जैसी कंपनियों से सामग्री हटवाने के लिए सरकार को ही लंबी खींचतान का सामना करना पड़ता था। अब नई नीति में नियम स्पष्ट होंगे और एक समयबद्ध प्रक्रिया के तहत इन संस्थाओं को कार्रवाई करनी होगी। इस बीच एक बहस यह भी छिड़ गई है कि यदि किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार है तो फिर नागरिकों के सही सूचना के अधिकार का क्या होगा।

यह सही है कि सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के आयामों को विविधता प्रदान की है। अब तक मुख्यधारा की मीडिया में गेटकीपर वाली परिभाषा के तहत हर समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित

होना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया ने हर किसी को स्वर प्रदान किया है तो वहीं किसी भी मसले पर ट्रेंड चलाकर दबाव समूह तैयार करने की रणनीतियां भी देखी जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्तिगत स्तर पर प्रसारित की जाने वाली समाचार सामग्री पर सरकारी नियंत्रण होता है तो फिर सवाल सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा? किंतु यह सवाल भी इससे संलग्न है कि यदि भ्रामक सूचना देना किसी के लिए अभिव्यक्ति के अधिकार का विषय हो गया है तो फिर सही सूचना हासिल करने के पाठक और आम जन के अधिकार का क्या होगा। मीडिया हो अथवा सोशल मीडिया, आम लोगों का यह अधिकार तो यथावत रहना ही चाहिए कि उन्हें सही सूचना मिले और सही स्रोतों से ही मिले। अन्यथा हर दिन सरकारें गिराने और बनाने के खेल वाली यूट्यूब और सोशल मीडिया की पत्रकारिता भ्रम निर्माण करती रहेगी।

यूट्यूब के थंबनेल हों या फिर फेसबुक और ट्विटर के पोस्ट हों। कई बार प्रयोग के तहत भ्रम निर्माण करने की कोशिश करने वाले लोगों के पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला तर्क है, लेकिन उसके साथ ही यह कर्तव्य भी चस्पा होता है कि उन्हें सही जानकारी ही देनी चाहिए। ऐसे दौर में जब नेपथ्य का कोई मुद्दा अचानक से मुख्यधारा में आ जाता है तो वहीं मुख्य मुद्दों को भटका दिया जाता है तो यह संयोग नहीं, अकसर प्रयोग ही होता है। ऐसी स्थितियां नियंत्रण की मांग करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आम उपयोगकर्ताओं के अधिकार प्रभावित न होने पाएं। इसका भी ध्यान रखना होगा। यह एक ऐसी बारीक रेखा है, जिससे इधर या उधर होना, कर्तव्य बनाम अधिकार की बहस में ले जाता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आईटी ऐक्ट में संशोधन से पूर्व दोनों ही पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ा जाए।

बीते कई सालों से यह चिंता लगातार जताई जा रही है कि सोशल मीडिया पर लोग ऐसी खबरें भी शेयर करते हैं, जो फेक होती हैं। इसके अलावा AI का इस्तेमाल करके वीडियो और तस्वीरें भी अलग-अलग दावों से शेयर की जाती हैं। अब इस पर भी सख्ती रहेगी और नियम होगा कि AI से तैयार सामग्री पर लेबलिंग की जाए कि इसे AI ने ही बनाया है। इससे AI से तैयार जानकारी या वीडियो-फोटो के बारे में सही पहचान करना संभव होगा। मसौदे के हिसाब से सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज कंटेंट देने वाले इनफ्लुएंसर्स और यूजर्स के ऊपर भी निगरानी करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही मंत्रालय किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आदेश भी दे सकेगा। मंत्रालय की आंतरिक समिति उस कंटेंट को भी हटा सकेगी, जिस पर किसी अन्य मंत्रालय द्वारा आपत्ति जताई जाती है। इसका मतलब है कि न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़े कंटेंट पर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब आम यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए न्यूज कंटेंट को कड़ी निगरानी के दायरे में लाया जाएगा।

कंपनियों की भी जबावदेही होगी तय

नए मसौदे के हिसाब से अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनियां सरकार के आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकेगी। अभी तक कंपनियां सरकारी सलाह को नजरअंदाज या टाल सकती थीं क्योंकि इसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा करने पर सीधा कानूनी जोखिम होगा। मसौदे में कुछ प्रक्रिया संबंधी शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जैसे हर आदेश लिखित में होगा। उसमें कानून का आधार स्पष्ट बताया जाएगा और वह आईटी एक्ट और नियमों के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन इन आदेशों के लागू होने से पहले किसी न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।

डाटा को लेकर भी बदलाव

नए प्रस्ताव के तहत डाटा से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित है। नए प्रावधान के अनुसार अगर किसी प्लेटफॉर्म को कंटेंट या यूजर डेटा हटाने के लिए कहा जाता है तो वह उन जानकारियों को नष्ट नहीं कर सकता, जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित रखना जरूरी है। इसमें टैक्स, वित्तीय नियम या कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इससे फेक न्यूज आदि पर लगाम कस पाएगी। हालांकि एक वर्ग यह चिंता भी जताने लगा है कि इससे इन्फ्लुएंसर्स की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अब तक वे व्यूज आदि के माध्यम से कमाई करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें कमी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को एक बार स्ट्राइक का सामना करना पड़ा तो फिर उसकी रीच प्रभावित होगी।

ऐसे में उसका चैनल पहले जैसा नहीं रह जाएगा। फिर भी यह अहम है क्योंकि इससे फेक न्यूज पर रोक लगेगी, जो बीते कई सालों से चिंता का विषय रहा है। सोशल मीडिया पर किसी वर्ग, क्षेत्र और घटना के बारे में गलत जानकारी शेयर किए जाने की खबरें आती रही हैं। सरकार ने ऐसी स्थिति में फेसबुक, ट्विटर आदि एजेंसियों को नोटिस जारी कर सामग्री हटवाई भी है, लेकिन कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान ना होने के चलते यह प्रक्रिया जटिल होती थी। अब यदि कानून में स्पष्टता होगी तो फिर ऐसी सामग्री को भी आसानी से हटाया जा सकेगा। इसके अलावा रेगुलेशन भी सरल होगा। ●

वाइट हाउस और मीडिया हाउस सीएनएन में फिर छिड़ी जंग

अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच में जारी जंग के बीच अब एक जंग अमेरिका के व्हाइट हाउस और वहां के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान सीएनएन के बीच में भी छिड़ गई है। व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सीएनएन पर आरोप लगाया है कि वह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की निर्णायक सफलता को कमजोर करके दिखा रहा है। वहीं, इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में सीएनएन के सीईओ मार्क थॉमसन ने भी एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि वह राजनीतिक धमकियों या अपमान के कारण अपने पत्रकारिता सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे।

दरअसल, अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच जारी जंग की सीएनएन लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। इस रिपोर्टिंग को लेकर व्हाइट हाउस ने एतराज जगाया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की निर्णायक सफलता को कमजोर करने के लिए सीएनएन झूठ बोल रहा है। फेक न्यूज़, सीएनएन एक बार फिर ऐसा ही कर रहा है। जब अमेरिकी सेनाएं ईरान के आतंकवादी शासन को समाप्त करने के लिए जबरदस्त प्रहार कर रही हैं, तब सीएनएन के तथाकथित 'पत्रकार' डेमोक्रेट स्रोतों से ली गई काल्पनिक कहानियां फैलाकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हमारी निर्णायक जीत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।'

इसके जवाब में सीएनएन के सीईओ मार्क थॉमसन ने बयान दिया। उन्होंने लिखा, 'हम अपनी पत्रकारिता पर कायम हैं। राजनेताओं के पास यह कहने का स्पष्ट उद्देश्य होता है कि उनकी नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता झूठी है। सीएनएन में हमारा एकमात्र उद्देश्य अमेरिका और दुनिया भर में अपने दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाना है और किसी भी तरह की राजनीतिक धमकियां या अपमान इस लक्ष्य को बदल नहीं सकते।' ●

जिंगाबाद: नई पीढ़ी की पसंद और 'जेन जी' की पत्रकारिता

पत्रकारिता अब अखबार, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों के अतिरिक्त डिजिटल माध्यम में भी तेजी से प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। देश में 'जेन जी' नाम से पुकारी जाने वाली नई पीढ़ी और उसकी पसंद की अकसर चर्चाएं होती हैं। इस पीढ़ी की पसंद और नापंसद को ध्यान में रखकर डिजिटल मीडिया में जिंगाबाद (Zingabad) नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। कभी एबीपी न्यूज जैसे बड़े टीवी चैनल के साथ रहे पत्रकार रोहित सांवल के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है।

उनका दावा है कि डिजिटल मीडिया पर यह पहला ऐसा माध्यम है, जिसमें 'जेन जी' को ध्यान में रखकर सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। उनका कहना था कि यहां सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा कि वे युवा पीढ़ी को रोचक लगें। समाचार को रोचक अंदाज में पेश करने के प्रयास पहले भी किए जाते रहे हैं और उसी कड़ी में यह नवीनतम प्रयास मालूम पड़ता है। यही नहीं जिंगाबाद के लिए रैपर यो यो हनी सिंह ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। इस कैंपेन में अनुपम खेर, कपिल शर्मा, सोनू सूद जैसी कई ऐसी हस्तियों को भी शामिल किया गया है, जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। रोहित सांवल का कहना है कि देश का युवा अब सिर्फ समाचार और संवाद नहीं चाहता बल्कि इनके माध्यम से सशक्तीकरण चाहता है।

उनको ध्यान में रखकर ही हमने अपने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। रोहित सांवल का यह भी कहना है कि भले ही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को जोड़ना है, लेकिन हम परंपरागत मूल्यों से भटकेंगे नहीं। इसीलिए हमने जिंगाबाद प्लेटफॉर्म का स्लोगन भी यही दिया है- ट्रैडिशनल रूट्स वाया डिजिटल रूट्स। इस प्रकार उन्होंने नए कलेवर में पुराने मूल्यों को बनाए रखने की बात भी कही है। ●

प्रेस को दबाया जा रहा, दुनिया में करीब 300 पत्रकार जेल में बंद

दुनियाभर में प्रेस को दबाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में हिरासत में लिए गए और कैद किए गए पत्रकारों की संख्या में उछाल आया है। हाल ही में पत्रकार जिमी लाई को हांगकांग के अधिकारियों ने 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार 2025 के अंत में दुनियाभर में 330 पत्रकार जेल में थे। जबकि एक दशक पहले 200 से भी कम। एक-तिहाई से अधिक पत्रकार पांच साल या उससे अधिक की सजा काट रहे हैं। लगभग आधे औपचारिक रूप से सजा सुनाए बिना ही सलाखों के पीछे हैं।

प्रेस के 129 सदस्यों की मौत काम के दौरान या काम के कारण हुई है। ये 1992 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे अधिक संख्या है। प्रेस की स्वतंत्रता के सबसे बड़े अपराधियों में चीन, रूस, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इजराइल ,म्यांमार, सूडान और तुर्किये हैं। पत्रकारों पर सरकार के दुश्मन, आतंकवादी, विदेशी एजेंट या जासूस होने तक के झूठे आरोप लगाए गए हैं।

पश्चिमी एशिया में जारी इस संघर्ष के दौरान भी पत्रकारों की गिरफ्तारियों, रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप, मीडिया संस्थानों को क्षति पहुंचाने वाले हवाई हमलों तथा मीडिया कवरेज पर व्यापक प्रतिबंधों के मामले सामने आए हैं। 24 मार्च तक युद्ध के कारण 3 पत्रकारों की मृत्यु हुई है। 8 पत्रकारों को हमलों, धमकियों या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। 8 मीडिया संस्थानों को हवाई हमलों में क्षति पहुंची है, जिनमें कुछ मामलों में पत्रकारों के घायल होने की भी सूचना है। इसके अतिरिक्त 9 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई। विश्व के अनेक देशों में सेंसरशिप के उपाय लागू किए गए, जिनमें ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट भी सम्मिलित है। ●

दिल्ली पुलिस पहुंची यूएनआई, ऐसी नौबत क्यों आई

दिल्ली पुलिस ने 20 मार्च शाम समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (यूएनआई) के 9 रफी मार्ग स्थित ऑफ़िस को सील कर दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं, जिनमें यूएनआई परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और पत्रकारों-कर्मचारियों से कार्यालय खाली करने को कह रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के उस फ़ैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत यूएनआई को 9, रफ़ी मार्ग पर स्थित सरकारी ज़मीन का आवंटन रद्द कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से विवादित संपत्ति का कब्ज़ा ले लें और यह सुनिश्चित करें कि उसका उपयोग कानून के अनुसार ही किया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यूएनआई पिछले 40 सालों में कई बार याद दिलाने के बावजूद कार्यालय का निर्माण नहीं कर सका, जो आवंटन पत्र में तय शर्तों का उल्लंघन है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ़िस ने 12 जनवरी, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 29 मार्च, 2023 को आवंटन रद्द कर दिया था। न्यूज़ एजेंसी ने इस रद्दीकरण को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने वित्तीय कमी और लंबित मंजूरियों को देरी का कारण बताने वाले उसके तर्कों को खारिज कर दिया। इसके बाद अधिकारियों के लिए परिसर का कब्जा लेने का रास्ता साफ हो गया। अदालत ने कहा कि कई बार समय बढ़ाने के बावजूद यूएनआई ने न तो योजनाओं को अंतिम रूप दिया, ना ही सह-आवंटियों के साथ समझौते किए और न ही विकास कार्य शुरू किया। अदालत ने यह भी कहा कि यूएनआई ने वित्तीय अक्षमता और इरादे की कमी स्वीकार की है। अदालत ने माना कि चार दशकों से अधिक समय तक भवन का निर्माण न करना आवंटन की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है।

यूएनआई ने आरोप लगाया है कि उसके कर्मचारियों से जबरन दफ़्तर खाली कराया गया। यूएनआई ने एक्स पर लिखा, 'देश की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित समाचार एजेंसियों में से एक, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया के दफ़्तर को सील करने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस मामले में तीन प्रमुख पत्रकार संगठनों ने समाचार एजेंसी युनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के दफ्तर को सील करने के दौरान कथित तौर पर हुई "धक्का-मुक्की" और "अत्यधिक बल प्रयोग" की कड़ी निंदा की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेन्स प्रेस कॉर्प्स ने अलग-अलग बयान जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यूएनआई को आवंटित जमीन रद्द करने के फैसले को लागू करने में "अनुचित जल्दबाजी" दिखाई गई।

संगठनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान पत्रकारों के साथ "धक्का-मुक्की" की गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अनुसार, कई पत्रकारों का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने जबरन दफ्तर से बाहर निकाला। यह भी आरोप है कि पत्रकारों को अपना निजी सामान तक लेने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं, देशबंधु अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि अदालत का फैसला और उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई तो सही है, लेकिन यहां असली सवाल पुलिस के रवैये का है। ●

कैसे बचेंगे सरकार, छोटे अखबारों ने लगाई विज्ञापन की गुहार

लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशन में आ रही बाधाओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव भारत सिंह ने पदाधिकारियों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मांग उठाई कि लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए शासन द्वारा विज्ञापन मद में जारी धनराशि बड़े प्रकाशकों को न जारी कर उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के चुनिंदा प्रकाशकों को अनवरत विज्ञापन जारी किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसा भेदभाव रोका जाना भी आवश्यक है। साथ ही मांग की कि लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को एजेंसी से विज्ञापन जारी कराने की बजाय सीधा विभाग द्वारा विज्ञापन दिया जाए, क्योंकि भुगतान अत्यधिक समय तक लंबित रहता है। इसके साथ ही मासिक पत्रिकाओं के विज्ञापन न रोके जाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह ने आश्वस्त किया कि मासिक पत्रिकाओं के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐड एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि जब तक पिछले भुगतान की एनओसी नहीं जारी करेंगे, तब तक उन्हें नया कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा।

छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के महत्त्व के साथ-साथ उनके समक्ष उभरे खतरों को लेकर कई अध्ययनों में चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं। कर्नाटक स्टेट वुमंस यूनिवर्सिटी विजयपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के संकाय सदस्यों प्रभा, ओंकारगोड़ा और नम्रता ने अपने शोध कार्य में पाया था कि भारत में छोटे समाचार-पत्र लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि ये भारत की अधिकांश आबादी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सामने लाते हैं।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आरएनआई) के अनुसार, जिस समाचार-पत्र का प्रतिदिन का प्रसार 25,000 प्रतियों तक होता है, उसे छोटा समाचार-पत्र कहा जाता है। स्थानीय परिवेश से जुड़े होने के कारण छोटे समाचार-पत्र समाज में घटित घटनाओं और समस्याओं को निकटता से समझते हैं और उन्हें जनता के सामने लाते हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करने में इनकी भूमिका बड़े और व्यापक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की तुलना में कई बार अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावशाली होती है। वहीं, मुकेश कुमार अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी छोटे समाचार-पत्रों ने लोगों के मन में आज़ादी की चेतना और उत्साह जगाया था। स्वतंत्रता के बाद भी ये समाचार-पत्र राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ●